

Bill No. CXV of 2005

**THE COMMUNAL VIOLENCE (PREVENTION, CONTROL
AND REHABILITATION OF VICTIMS) BILL, 2005**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

CHAPTER I

PRELIMINARY

CLAUSES

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER II

DECLARATION OF CERTAIN AREAS AS COMMUNALLY DISTURBED AREAS

3. Power of State Government to declare an area a communally disturbed area.
4. Measures to be taken by State Government on declaring a communally disturbed area.

CHAPTER III

PREVENTION OF ACTS LEADING TO COMMUNAL VIOLENCE

5. Power of District Magistrate to take preventive measures, etc.
6. Power of Competent Authority to take preventive measures.
7. Power to order deposit of arms, ammunition, etc.
8. Power to search, detain and seize arms, etc., in communally disturbed areas.
9. Power of competent authority to prohibit certain acts.
10. Power to make orders regarding conduct of persons in communally disturbed area.
11. Punishment for loitering near prohibited places.
12. Punishment for being in possession of arms, etc., without licences.
13. Punishment for assisting offenders.
14. Punishment for giving financial aid for the commission of certain offences.
15. Punishment for threatening witnesses, etc.
16. Driver, owner or any person in charge of goods transport vehicle not to carry more persons than authorised.
17. Punishment for public servants acting in *mala fide* manner.
18. Punishment for violation of orders under section 144 of the Code in communally disturbed areas.

CHAPTER IV

ENHANCED PUNISHMENT FOR COMMUNAL VIOLENCE

CLAUSES

19. Punishment for committing communal violence.

CHAPTER V

INVESTIGATION

20. Scheduled offences to be cognizable.
 21. Declaration of places to be police stations.
 22. Constitution of review committee.
 23. Constitution of Special Investigation Teams.

CHAPTER VI

SPECIAL COURTS

24. Establishment of Special Courts.
 25. Composition and appointment of Judges of Special Courts.
 26. Place of sitting.
 27. Jurisdiction of Special Courts.
 28. Powers of Special Courts with respect to other offences.
 29. Public Prosecutors.
 30. Procedure and powers of Special Courts.
 31. Power of Supreme Court to transfer cases.
 32. Protection of witnesses.
 33. Power to transfer cases to regular courts.
 34. Removal of person likely to commit scheduled offence.
 35. Procedure on failure of person to remove himself from area and enter thereon after removal.
 36. Appeal.
 37. Abolition of certain Special Courts.

CHAPTER VII

INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR RELIEF AND REHABILITATION

38. State Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Council.
 39. Constitution of State Council.
 40. Functions of Council.
 41. State plan for promotion of communal harmony and prevention of communal violence.
 42. Constitution of District Council.
 43. Meetings of District Council.
 44. Functions of District Council.

CHAPTER VIII

NATIONAL COUNCIL

45. National Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Council.

CLAUSES

46. Terms and conditions of Members of National Council.
47. Powers and functions of National Council.
48. Report of National Council.

CHAPTER IX

FUNDS FOR RELIEF AND REHABILITATION

49. State Fund.
50. Scheme for grant of relief.
51. District fund.
52. District Council to function under State Council.

CHAPTER X

COMPENSATION TO VICTIMS

53. Compensation to victims.
54. Immediate compensation.

CHAPTER XI

SPECIAL POWERS OF THE CENTRAL GOVERNMENT TO DEAL WITH COMMUNAL
VIOLENCE IN CERTAIN CASES

55. Power of Central Government to give directions to State Government and issue notifications, etc.
56. Power of Central Government to extend or modify notifications issued under section 55.

CHAPTER XII

POWERS, DUTIES AND IMMUNITIES OF THE OFFICERS

57. Protection of action taken in good faith.

CHAPTER XIII

MISCELLANEOUS

58. Prohibition against discrimination.
59. Application of other laws not barred.
60. Power of Central Government to make rules.
61. Power of State Government to make rules.
62. Amendment of section 8 of Act 43 of 1951.

THE SCHEDULE.

Bill No. CXV of 2005

THE COMMUNAL VIOLENCE (PREVENTION, CONTROL AND REHABILITATION OF VICTIMS) BILL, 2005

A BILL

to empower the State Governments and the Central Government to take measures to provide for the prevention and control of communal violence which threatens the secular fabric, unity, integrity and internal security of the Nation and rehabilitation of victims of such violence and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by Parliament in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Communal Violence (Prevention, Control and Rehabilitation of Victims) Act, 2005.

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

Short title, extent and commencement.

(3) It shall come into force in the Union territories on such date as the Central Government may, by notification, appoint.

(4) The provisions of this Act, except Chapters II to VI (both inclusive), shall come into force in the States on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act and the provisions of Chapters II to VI (both inclusive), shall come into force in a State as the State Government may, by notification, appoint and any reference to any provision of this Act to the commencement of this Act shall, in relation to a State, be construed as a reference to the commencement of that provision in that State.

Definitions.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973;

(b) "communally disturbed area" means an area declared as such under sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 or under clause (a) of sub-section (3) of section 55;

(c) "communal violence" means any act of omission or commission which constitutes a scheduled offence and which is punishable under section 19;

(d) "competent authority" means such officer or authority as the State Government or the Central Government may, by notification, appoint as the competent authority under sub-section (4) of section 3 or as a Unified Command under sub-section (4) of section 55, as the case may be;

(e) "District Council" means the District Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Council established by the State Government under sub-section (1) of section 42;

(f) "District Fund" means the Victims Assistance Fund established by the State Government under section 51;

(g) "National Council" means the National Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Council constituted by the Central Government under sub-section (1) of section 45;

(h) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(i) "period of disturbance", in relation to a communally disturbed area, means the period during which it is declared to be a disturbed area under section 3 or section 55, as the case may be;

(j) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(k) "relief and rehabilitation" includes providing shelter, medical care, food, clothing, education, vocational training and counselling or such other measures of relief as may be considered necessary by the State Council or the District Council to the victim of communal violence;

(l) "scheduled offence" means an offence specified in the Schedule;

(m) "Special Court" means a Special Court established under sub-section (1), or an additional special court established under sub-section (2), of section 24;

(n) "State Council" means the Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Council established by the State Government under section 39;

(o) "State Fund" means the State Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Fund established by the State Government under sub-section (1) of section 49;

(p) "Unified Command" means the authority constituted by the Central Government or the State Government under sub-section (4) of section 55.

4 of 1884.
54 of 1959.

(2) The words and expressions used and not defined in this Act but defined in the Explosives Act, 1884 or the Arms Act, 1959 shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

CHAPTER II

DECLARATION OF CERTAIN AREAS AS COMMUNALLY DISTURBED AREAS

3. (1) Whenever the State Government is of the opinion that one or more scheduled offences are being committed in any area by any person or group of persons—

Power of State Government to declare an area a communally disturbed area.

(a) in such manner and on such a scale which involves the use of criminal force or violence against any group, caste or community, resulting in death or destruction of property; and

(b) such use of criminal force or violence is committed with a view to create disharmony or feelings of enmity, hatred or ill-will between different groups, castes or communities; and

(c) unless immediate steps are taken there will be danger to the secular fabric, integrity, unity or internal security of India,

it may, by notification,—

(i) declare such area to be a communally disturbed area;

(ii) constitute such area into a single judicial zone or into as many judicial zones as it may deem fit.

(2) A notification under sub-section (1) in respect of any area shall specify the period during which the area shall, for the purpose of this Act, be a communally disturbed area:

Provided that the period specified in such notification shall not, in the first instance, exceed thirty days, but the State Government, may amend such notification to extend such period from time to time by any period not exceeding thirty days at any one time, if in the opinion of that Government public peace and tranquillity continues to be disturbed in such area.

(3) Where any area has been notified as a communally disturbed area under sub-section (1), it shall be lawful for the State Government to take all measures, which may be necessary to deal with the situation in such area.

(4) When a notification has been issued under sub-section (1), the State Government shall notify one or more officers of the State Government as the competent authority for the purposes of this Act and different competent authorities may be appointed for different provisions of this Act.

4. (1) Where the State Government has declared an area to be a communally disturbed area under sub-section (1) of section 3, it shall take such immediate measures as may be necessary to prevent and control communal violence in such area.

Measures to be taken by State Government on declaring a communally disturbed area.

(2) If the State Government is of opinion that assistance of the Central Government is required for controlling the communal violence, it may request the Central Government to deploy armed forces of the Union to control the communal violence.

CHAPTER III

PREVENTION OF ACTS LEADING TO COMMUNAL VIOLENCE

5. (1) Notwithstanding anything contained in the Code, whenever the District Magistrate has reason to believe that in any area within his jurisdiction, a situation has arisen where there is an apprehension of breach of peace or creation of discord between members of different groups, castes or communities, he may, by order in writing, prohibit any act which in his opinion is likely to cause apprehension in the minds of another community or caste or

Power of District Magistrate to take preventive measures, etc.

group that it is directed to intimidate, threaten or otherwise promote ill-will against that community or caste or group.

(2) Notwithstanding anything contained in sections 6, 7, 9 and 10, the District Magistrate shall also have the same powers as the competent authority has in the area under his jurisdiction in relation to the provisions of the said sections. 5

(3) Whoever contravenes an order under this section shall be punished with imprisonment for a term, which may extend to one year, or with fine, or with both.

6. (1) A competent authority in any area within his jurisdiction which has been notified as a communally disturbed area, by order in writing,—

(i) direct the conduct of any assembly or procession in any place or street and 10 specify by general or special notice the routes, if any, by which and the times at which, such procession may or may not pass;

(ii) require, by general or special notice, on being satisfied that any person or class of persons intend to convene or collect a assembly or an procession in any place or street or to form an assembly or procession which would in his judgment, if 15 uncontrolled, is likely to cause a breach of peace that the person convening or collecting such assembly or procession or directing or promoting such assembly or procession shall not do so without applying for and obtaining a licence; and

(iii) prohibit or regulate the use of loudspeaker, music or sound amplifier or any other noisy instrument in any street or public place or in any private place if the 20 use of which may cause annoyance to neighbours.

(2) An order under sub-section (1) shall remain in force for such period as may be necessary or thirty days, whichever is less:

Provided that the State Government, after reviewing the effect of the order, if considers it necessary for the preservation of communal peace or harmony between different groups, 25 castes or communities or public safety or maintenance of public order in such area, may, by notification, direct that the order issued under sub-section (1) shall remain in force for such further period not exceeding sixty days from the date of the first order.

7. (1) When any area has been notified as a communally disturbed area, then, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the competent 30 authority may direct, any person or class of persons, or all persons, in a communally disturbed area, to deposit forthwith all arms, ammunition, explosives and corrosive substance, with the nearest police station, whether such person has a licence to keep such arms, ammunition, explosives, corrosive substance, or not:

Provided that a competent authority may exempt any individual or class of individuals 35 from the operation of such order.

(2) Whoever contravenes the provisions of an order made under this section, shall be punished with imprisonment of either description, for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

8. When any area has been notified as a communally disturbed area, then, notwith- 40 standing anything contained in any law for the time being in force, if an officer in charge of a police station has reason to believe,—

(a) any person residing in the limits of his jurisdiction within a communally 45 disturbed area has in his possession any arms or ammunition, or explosives or corrosive substance, for any unlawful purpose; and

(b) such person cannot be left in the possession of any arms or ammunition, or explosive or corrosive substance, without danger to the public peace or safety,

the officer in charge of the police station may himself or by another officer, not below the rank of a Sub-Inspector of Police authorised in this behalf by the officer in charge, search the

Power of competent authority to take preventive measures.

Power to order deposit of arms, ammunition, etc.

Power to search, detain and seize arms, etc., in communally disturbed areas.

house or premises occupied by such person or in which the officer in charge has reason to believe that such arms or ammunition, or explosives or corrosive substance, are, or is to be, found, and may have such arms, ammunition, explosives or corrosive substance, if any, seized, and detain the same in safe custody for such period as he thinks necessary although the person may be entitled by virtue of any law for the time being in force to have the same in his possession.

9. (1) When any area has been declared as a communally disturbed area, then, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, any competent authority may in the areas under his jurisdiction, whenever and for such time as he may consider necessary, for the preservation of public peace or public safety by a notification publicly promulgated or addressed to individuals, prohibit at any town, village or place or in the vicinity of any such town, village or place in a communally disturbed area—

Power of competent authority to prohibit certain acts.

(a) the carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, guns, knives, sticks or lathis, or any other article, which is capable of being used for causing physical violence;

(b) the carrying of any corrosive substance or explosives;

(c) the carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles;

(d) the exhibition of persons or corpses of figures or effigies thereof;

(e) the public utterances of cries, singing of songs, playing of music;

(f) delivery of harangues, the use of gestures or threats, and the preparation, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object or thing,

which may in the opinion of such authority lead to a breach of public peace.

(2) If any person goes armed with any such article or carries any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition, he shall be liable to be disarmed or the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police officer, and the article, corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the Government.

(3) The competent authority may also, by order in writing, prohibit in a communally disturbed area any assembly or procession whenever and for so long as he may deem such prohibition to be necessary for the preservation of the public peace:

Provided that no such prohibition ordered by an authority subordinate to the State Government shall remain in force for more than fifteen days without the sanction of the State Government.

(4) The competent authority may, by public notice, in a communally disturbed area temporarily reserve, for any public purpose any street or public place and prohibit persons from entering the area so reserved, except under such conditions as may be specified by such authority.

(5) Whoever disobeys an order lawfully made under this section, or abets the disobedience thereof, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

10. (1) Without prejudice to the provisions of any other law for the time being in force, a competent authority, in regard to a communally disturbed area, may make orders for—

Power to make orders regarding conduct of persons in communally disturbed area.

(a) controlling or regulating the admission of persons to, and the conduct of persons in, and in the vicinity of, such area;

(b) requiring the presence of any person or class of persons in such area, to be intimated to any prescribed authority, specified in the said order; and

(c) prohibiting any person or class of persons from being in possession or control of any article specified in the said order.

(2) Whoever contravenes any order made under this section, without just and sufficient cause, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

5

Punishment for loitering near prohibited places.

11. (1) No person loitering in, or in the vicinity of, any communally disturbed area shall continue to loiter in, or in that vicinity after being ordered to leave it, by a police officer, or any other person authorised in this behalf by the competent authority.

(2) Whoever contravenes the provisions of this section without just and sufficient cause shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

10

Punishment for being in possession of arms, etc., without licences.

12. Whoever, being present within a communally disturbed area, has in his possession any arms, ammunition, explosives or corrosive substance without any license or lawful authority, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

Punishment for assisting offenders.

13. Any person who knowing or having reasonable cause to believe that any other person has committed any act or omitted to do an act, the commission or omission of which, would be an offence under the provisions of this Act, gives that other person any assistance with intent thereby to prevent, hinder or otherwise interfere with his arrest, trial or punishment for the said offence, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

15

20

Punishment for giving financial aid for the commission of certain offences.

14. Whoever knowingly expends or supplies any money in furtherance or in support of an act which is an offence under this Act, shall be punished with imprisonment for a term, which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

Punishment for threatening witnesses, etc.

15. Whoever, threatens any person,—

(i) who is, or is likely to be, a witness in any prosecution for an offence under this Act, or in any trial before a special court constituted under this Act;

25

(ii) who has in his possession or knowledge any material document or other information which if produced before an investigating officer, or a court, could be used as evidence in the investigation for an offence under this Act, or in a trial before a Special Court constituted under this Act;

30

(iii) with any injury to his person or property or to the person or property of any one in whom that person is interested, with intent to cause harm to that person, or to compel that person to refrain or withdraw from being a witness in such investigation or trial, or to prevent that person from producing such material, document or information before the investigating officer or court as mentioned aforesaid,

35

shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

Driver, owner or any person in charge of goods transport vehicle not to carry more persons than authorised.

16. Whoever being the owner, driver or otherwise in charge of any goods transport vehicle carries or causes to be carried in the vehicle in a communally disturbed area, any number of persons in excess of the numbers permitted under the Motor Vehicles Act, 1988 or the rules made thereunder, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

40
59 of 1988.

17. (1) Whoever being a public servant or any other person authorised to act by a competent authority under any provisions of this Act or orders made thereunder,—

Punishment for public servants acting in *mala fide* manner.

(a) exercises the lawful authority vested in him under this Act in a *mala fide* manner, which causes or is likely to cause harm or injury to any person or property; or

(b) wilfully omits to exercise lawful authority vested in him under this Act and thereby fails to prevent the commission of any communal violence, breach of public order or disruption in the maintenance of services and supplies essential to the community.

shall be punished with imprisonment which may extend to one year, or with fine, or with both.

Explanation.—For the purposes of this section, any police officer who, wilfully refuses—

(i) to protect or provide protection to any victim of communal violence;

(ii) to record any information under sub-section (1) of section 154 of the Code relating to the commission of any scheduled offence or any other offence under this Act;

(iii) to investigate or prosecute any scheduled offence or any other offence under this Act,

shall be deemed to be guilty of wilfully omitting to exercise the lawful authority vested in him.

(2) Notwithstanding anything contained in the Code, no court shall take cognizance of an offence under this section except with the previous sanction of the State Government:

Provided that every request for the grant of sanction under this section shall be disposed of by the State Government within thirty days from the date of the request.

18. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, whoever contravenes an order under section 144 of the Code, if that order is in respect of any person or thing or any matter relating to a communally disturbed area under this Act, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

Punishment for violation of orders under section 144 of the Code in communally disturbed areas.

CHAPTER IV

ENHANCED PUNISHMENT FOR COMMUNAL VIOLENCE

19. (1) Whoever commits any act of omission or commission which constitutes a scheduled offence on such scale or in such manner which tends to create internal disturbance within any part of the State and threatens the secular fabric, unity, integrity or internal security of the nation is said to commit communal violence.

Punishment for committing communal violence.

(2) Notwithstanding anything contained in the Indian Penal Code, or in any other Act specified in the Schedule, whoever commits any act of omission or commission which constitutes communal violence shall, except in the case of an offence punishable with death or imprisonment for life, be punished with imprisonment for a term which may extend to twice the longest term of imprisonment and twice the highest fine provided for that offence in the Indian Penal Code or in any other Act specified in the Schedule, as the case may be:

Provided that whoever being a public servant or any other person authorised to act by a competent authority under any provisions of this Act or orders made thereunder, commits communal violence shall without prejudice to the foregoing provisions be punished with imprisonment which shall not be less than five years.

(3) Any person who is guilty of an offence under sub-section (1) shall be disqualified to hold any post or office under the Government for a period of six years from the date of such conviction.

CHAPTER V

INVESTIGATION

Scheduled offences to be cognizable.

20. (1) Notwithstanding anything contained in the Code or any other law, every scheduled offence shall be deemed to be a cognizable offence within the meaning of clause (c) of section 2 of the Code and "cognizable case" as defined in that clause shall be construed accordingly. 5

(2) Notwithstanding anything contained in the Code, no police officer, below the rank of Sub-Inspector of Police or a police officer of equivalent rank shall investigate any offence punishable under this Act.

(3) Section 167 of the Code shall apply in relation to a case involving a scheduled offence subject to the modification that the reference in sub-section (1) thereof to "Judicial Magistrate" shall be construed as a reference to "Judicial Magistrate or Executive Magistrate". 10

(4) Sections 366 to 377 (both inclusive) and section 392 of the Code shall apply in relation to a case involving a scheduled offence, subject to the modification that the references to "Court of Session", wherever occurring therein, shall be construed as references to "Special Court". 15

Declaration of places to be police stations.

21. (1) Whenever an area has been declared under sub-section (1) of section 3 as a communally disturbed area, the State Government shall, without prejudice to the provisions of clause (s) section 2 of the Code, declare any post or place within such area to be a police station and the provisions of Chapter XII of the Code shall, so far as may be, apply in relation to information to the police and their powers to investigate. 20

(2) The State Government shall provide as many women police officers as possible to record any information relating to the commission of a scheduled offence committed against women or children in the communally disturbed area and to investigate any such offence. 25

Constitution of review committee.

22. (1) Notwithstanding anything contained in the Code, every case, registered in connection with a scheduled offence committed in a communally disturbed area, and where the Investigating Officer does not file a charge sheet within a period of three months from the date of registration of the First Information Report shall be reviewed by a committee headed by an officer of the level of an Inspector-General of Police to be constituted by the State Government and such committee may pass orders for a fresh investigation by another officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police wherever it comes to the conclusion that, having regard to the nature of investigation already carried out, such investigation would be necessary. 30

(2) The committee constituted under sub-section (1) may also review cases of such offences where the trial ends in acquittal and issue orders for filing appeal, wherever required. 35

(3) The committee shall submit a report of its findings and action taken in each case or cases to the Director General of Police.

Constitution of Special Investigation Teams.

23. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, where the State Government comes to the conclusion that the investigation of offences committed in any communally disturbed area were not carried out properly in a fair and impartial manner it may constitute one or more Special Investigation Teams as it thinks necessary for the purposes of investigation of such offences. 40

CHAPTER VI

SPECIAL COURTS

24. (1) The State Government shall establish one or more Special Courts for trial of scheduled offences committed during the period of disturbance by issuing a notification for the purpose.

Establishment of
Special Courts.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), if, having regard to the exigencies of the situation prevailing in a State, the Government is of the opinion that it is expedient to establish, Additional Special Courts outside the State, for the trial of such scheduled offences committed in a communally disturbed area, the trial whereof within the State—

(a) is not likely to be fair or impartial or completed with utmost dispatch; or

(b) is not likely to be feasible without occasioning a breach of peace or grave risk to the safety of the accused, the witnesses, the Public Prosecutor and the Judge or any of them; or

(c) is not otherwise in the interests of justice,

it may request the Central Government to establish, in relation to such communally disturbed area, an Additional Special Court outside the State and thereupon the Central Government may, after taking into account the information furnished by the State Government and making such inquiry, if any, as it may deem fit, establish, by notification, such Additional Special Court at such place outside the State as may be specified in the notification.

25. (1) A Special Court shall be presided over by a Judge to be appointed by the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court.

Composition
and appoint-
ment of Judges
of Special
Courts.

(2) The State Government may also appoint, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, Additional Judges to exercise jurisdiction in a Special Court.

(3) A person shall not be qualified for appointment as a Judge or an Additional Judge of a Special Court unless he is, immediately before such appointment, a Sessions Judge or an Additional Sessions Judge in any State.

(4) For the removal of doubts, it is hereby provided that the attainment by a person, appointed as a Judge or an Additional Judge of a Special Court, of age of superannuation under the rules applicable to him in the service to which he belongs, shall not affect his continuance as such Judge or Additional Judge.

(5) Where any Additional Judge is, or Additional Judges are, appointed in a Special Court, the Judge of the Special Court may, from time to time, by general or special order, in writing, provide for the distribution of business of the Special Court among himself and the Additional Judge or Additional Judges and also for the disposal of urgent business in the event of his absence or the absence of any Additional Judge.

26. A Special Court may, if it considers it expedient or desirable so to do sit for any of its proceedings at any place, other than the ordinary place of its sitting in the State in which it is established:

Place of sitting.

Provided that if the Public Prosecutor certifies to the Special Court that it is in his opinion necessary for the protection of the accused or any witness or otherwise expedient in the interest of justice that the whole or any part of the trial should be held at some place other than the ordinary place of its sitting, the Special Court may, after hearing the accused, make an order to that effect unless, for reasons to be recorded in writing, the Special Court thinks fit to make any other order.

27. (1) Notwithstanding anything contained in the Code or in any other law, a scheduled offence committed in a judicial zone in a State at any time during the period during which such judicial zone is, or is part of, a judicial zone, shall be triable, whether during or after the expiry of such period only by the Special Court established for such judicial zone in the State:

Jurisdiction of
Special Courts.

Provided that where the period specified under sub-section (2) of section 3 as the period during which an area declared by notification under sub-section (1) of that section to be a communally disturbed area commences from a date earlier than the date on which such notification is issued, then—

(a) nothing in the foregoing provisions of this sub-section shall apply to a scheduled offence committed in such area in which the whole of the evidence for the prosecution has been taken before the date of issue of such notification; and 5

(b) all other cases involving scheduled offences committed in such area and pending before any court immediately before the date of issue of such notification shall stand transferred to the Special Court having jurisdiction under this section and the Special Court to which such proceedings stand transferred shall proceed with such cases from the stage at which they were pending at that time. 10

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), if in respect of a case involving a scheduled offence committed in any judicial zone in a State, the State Government, having regard to the provisions of this Act and the facts and circumstances of the case and all other relevant factors, is of the opinion that it is expedient that such offence should be tried by the Additional Special Court established in relation to such judicial zone outside the State, the State Government may make a declaration to that effect. 15

Explanation.—Where an Additional Special Court is established in relation to two or more judicial zones, such Additional Special Court shall be deemed, for the purposes of this sub-section, to have been established in relation to each of such judicial zones. 20

(3) A declaration made under sub-section (2) shall not be called in question in any court.

(4) Where any declaration is made in respect of any offence committed in a judicial zone in a State, any prosecution in respect of such offence shall be instituted only in the Additional Special Court established outside the State in relation to such judicial zone and if any prosecution in respect of such offence is pending immediately before such declaration in any other court, the same shall stand transferred to such Additional Special Court and such Additional Special Court shall proceed with such case from the stage at which it was pending at that time. 25

Powers of
Special Courts
with respect to
other offences.

28. (1) When trying any scheduled offence, a Special Court may also try any offence other than the scheduled offence with which the accused may, under the Code, be charged at the same trial if the offence is connected with the scheduled offence. 30

(2) If, in the course of any trial under this Act, it is found that the accused person has committed any offence, the Special Court may, whether such offence is or is not a scheduled offence, convict such person of such offence and pass any sentence authorised by law for the punishment thereof. 35

Public
Prosecutors.

29. (1) For every Special Court, the State Government shall appoint a person to be the Public Prosecutor and may appoint one or more persons to be the Additional Public Prosecutors:

Provided that the Government may also appoint for any case or class of cases a Special Public Prosecutor. 40

(2) A person shall be eligible to be appointed as a Public Prosecutor or an Additional Public Prosecutor or a Special Public Prosecutor under this section only if he has been in practice as an Advocate for not less than seven years or has held any post, for a period of not less than seven years, under the Union or a State, requiring special knowledge of law. 45

(3) Every person appointed as a Public Prosecutor or an Additional Public Prosecutor or a Special Public Prosecutor under this section shall be deemed to be a Public Prosecutor within the meaning of clause (u) of section 2 of the Code, and the provisions of the Code shall have effect accordingly.

30. (1) A Special Court may take cognizance of any scheduled offence, without the accused being committed to it for trial, upon receiving a complaint of facts which constitute such offence or upon a police report of such facts.

Procedure and powers of Special Courts.

5 (2) Notwithstanding anything contained in the Code, the Special Court shall conduct its proceedings on a day-to-day basis excluding public holidays.

(3) Where a scheduled offence is punishable with imprisonment for a term not exceeding three years, or with fine, or with both, a Special Court may, notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 260 or section 262 of the Code, try the offence in a summary way in accordance with the procedure prescribed in the Code and the provisions of sections 263 to 265 of the Code shall, so far as may be, apply to such trial:

10 Provided that when, in the course of a summary trial under this sub-section, it appears to the Special Court that the nature of the case is such that it is undesirable to try it in a summary way, the Special Court shall recall any witnesses who may have been examined and proceed to re-hear the case in the manner provided by the provisions of the Code for the trial of such offence and the said provisions shall apply to and in relation to a Special Court as they apply to and in relation to a Magistrate:

15 Provided further that in the case of any conviction in a summary trial under this section, it shall be lawful for a Special Court to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding two years.

20 (4) A Special Court may, with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in, or privy to, an offence, tender a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole circumstances within his knowledge relative to the offence and to every other person concerned whether as principal or abettor in the commission thereof, and any pardon so tendered shall, for the purposes of section 308 of the Code, be deemed to have been tendered under section 307 thereof.

25 (5) Subject to the other provisions of this Act, a Special Court shall, for the purpose of trial of any offence, have all the powers of a Court of Session and shall try such offence as if it were a Court of Sessions so far as may be in accordance with such procedure specified in the Code for the trial before a Court of Session.

(6) Subject to the other provisions of this Act, every case before an Additional Special Court shall be dealt with as if such case had been transferred under section 406 of the Code to such Additional Special Court.

30 31. Whenever it is made to appear to the Supreme Court that an order under this section is expedient for the ends of justice, it may direct that any particular case be transferred from one Special Court to another Special Court.

Power of Supreme Court to transfer cases.

35 32. (1) A Special Court may, on an application made by a witness in any proceedings before it or by the Public Prosecutor in relation to such witness or on its own motion, take such measures as it deems fit for keeping the identity and address of the witness secret.

Protection of witnesses.

40 (2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the measures which a Special Court may take under that sub-section may include—

- (a) the holding of the proceedings at a protected place;
- (b) the avoiding of the mention of the names and addresses of the witnesses in its orders or judgments or in any records of the case accessible to public;
- 45 (c) the issuing of any direction for securing that the identity and addresses of the witnesses are not disclosed.

(3) Any person who contravenes any direction issued under sub-section (2) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to one thousand rupees.

Power to transfer cases to regular courts.

33. Where, after taking cognizance of any offence, a Special Court is of opinion that the offence is not a scheduled-offence, it shall, notwithstanding that it has no jurisdiction to try such offence, transfer the case for trial of such offence to any court having jurisdiction under the Code and the court to which the case is transferred may proceed with the trial of the offence as if it has taken cognizance of the offence. 5

Removal of person likely to commit scheduled offence.

34. (1) Where a Special Court is satisfied, *suo motu* or upon a complaint or a police report that a person is likely to commit a scheduled offence in any communally disturbed area, it may, by order in writing, direct such person to remove himself beyond the limit of such area, by such route and within such time as may be specified in the order, and not to return to that area from which he was directed to remove himself for such period, not exceeding 10 six months, as may be specified in the order.

(2) The Special Court shall, along with the order under sub-section (1), communicate to the person directed under that sub-section the grounds on which such order has been made.

(3) The Special Court may revoke or modify the order made under sub-section (1), 15 for the reasons to be recorded in writing, on the representation made by the person against whom such order has been made or by any other person on his behalf within thirty days from the date of the order.

Procedure on failure of person to remove himself from area and enter thereon after removal.

35. (1) If a person to whom a direction has been issued under section 34 to remove himself from any area— 20

(a) fails to remove himself as directed; or

(b) having so removed himself enters such area within the period specified in the order, otherwise than with the permission in writing of the Special Court under sub-section (2), the Special Court may cause him to be arrested and removed in police custody to such place outside such area as the Special Court may specify. 25

(2) The Special Court may, by order in writing, permit any person in respect of whom an order under section 34 has been made, to return to the area from which he was directed to remove himself for such temporary period and subject to such conditions as may be specified in such order and may require him to execute a bond with or without surety for the due observation of the conditions imposed. 30

(3) The Special Court may at any time revoke any such permission.

(4) Any person who, with such permission, returns to the area from which he was directed to remove himself shall observe the conditions imposed, and at the expiry of the temporary period for which he was permitted to return, or on the revocation of such permission before the expiry of such temporary period, shall remove himself outside such area and shall 35 not return thereto within the unimpaired portion specified under section 34 without a fresh permission.

(5) If a person fails to observe any of the conditions imposed or to remove himself accordingly or having so removed himself enters or returns to such area without fresh permission the Special Court may cause him to be arrested and removed in the police custody 40 to such place outside such area as the Special Court may specify.

Appeal.

36. (1) Notwithstanding anything contained in the Code, an appeal shall lie as a matter of right from any judgment, sentence or order, not being interlocutory order, of a Special Court to the High Court both on facts and on law.

(2) Except as aforesaid, no appeal or revision shall lie to any court from any judgment, 45 sentence or order of a Special Court.

(3) Every appeal under this section shall be preferred within a period of thirty days from the date of the judgment, sentence or order appealed from:

Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the period of thirty days.

- 5 37. Where any area ceases to be a communally disturbed area and no cases are pending before a Special Court or an Additional Special Court established in relation to such communally disturbed area, the State Government, may, by notification, abolish such Special Court or Additional Special Court, as the case may be.

Abolition of certain Special Courts.

CHAPTER VII

INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR RELIEF AND REHABILITATION

- 10 38. Every State Government shall, by notification, establish a Council to be known as State Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Council.

State Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Council.

39. The State Council shall consist of the following members, namely:—

Constitution of State Council.

(a) the Chief Secretary of the State – Chairperson, *ex officio*;

(b) the Director General of Police of the State – Member, *ex officio*;

15 (c) the Secretary of the Department entrusted with Relief and Rehabilitation work in the State Government – Member, *ex officio*;

(d) the Secretary of the Department of Finance in the State Government – Member, *ex officio*;

20 (e) the Secretary of the Department of Home in the State Government – Member, *ex officio*;

(f) the Secretary to the Department of Social Welfare dealing with Tribal Welfare or Minorities Welfare or Women and Child Development in the State Government – Member, *ex officio*;

25 (g) three persons to be nominated by the State Government to represent individuals or private voluntary organisations engaged in the work relating to promotion of communal harmony or providing relief to the victims of communal violence – Members;

30 (h) not less than five persons to be nominated by the State Government in such a manner that all important religious groups in the State are represented in the State Council – Members;

(i) an officer not below the level of Joint Secretary to the State Government to be nominated by the State Government – Member-Secretary, *ex officio*;

(j) the term of Members appointed under clauses (g) and (h) shall be such as may be prescribed by the State Government.

- 35 40. (1) The State Council shall have the responsibility of planning relief, including immediate relief and rehabilitation measures and co-ordination and monitoring the implementation of such measures and issue suitable directions for their implementation may be required.

Functions of Council.

40 (2) Without prejudice to the generality of the provision of sub-section (1), the State Council shall—

(a) advise the State Government in matters relating to relief and rehabilitation of victims of communal violence including drawing up of guidelines for the assessment of compensation including grant of immediate or interim compensation which shall

not be less than twenty per cent. of the full rates of compensation in respect of the losses suffered by an individual in communal violence in respect of—

- (i) loss of, or damage to, homes and belongings;
 - (ii) loss of life and injuries sustained;
 - (iii) destruction of, or damage to, business and the loss of means of livelihood;
 - (iv) impact of sexual assaults or abuse on women;
- (b) issue suitable guidelines for setting-up of relief camps for victims of communal violence, which shall provide for the following:—
- (i) arrangements for providing security at such camps;
 - (ii) appropriate shelter for winter, monsoon or summer seasons;
 - (iii) food, drinking water, toilet and bathing facilities;
 - (iv) health services, certification of injuries at the camp itself and issuance of medical cards with a validity of six months for purchase of free medicine, psychosocial support like trauma counselling;
 - (v) issue of temporary ration cards valid for a specific period;
- (c) establish a system of single window to complete all administrative formalities in relation to providing quick relief and rehabilitation to the victims of communal violence including making available ration cards or other identity cards;
- (d) certify loss or damage of educational or other certificates or ownership or other documents in respect of the victims of communal violence; and facilitate the students of the area affected by communal violence to appear for any examination and to provide security for the purpose;
- (e) establish centres for rehabilitating the children of victims of communal violence;
- (f) establish a single window clearance scheme for speedy disposal of insurance claims and for providing soft loans through financial institutions or measures relating to re-scheduling of loans and payments of interest in cases of victims of communal violence in consultation with the financial institutions;
- (g) facilitate the efforts of other organisations who may come forward to help the victims in all manner feasible.
- (h) recommend welfare measures to be adopted and implemented by the appropriate Government with a view to ameliorating the conditions of victims of communal violence;
- (i) draw suitable guidelines and issue directions for funding the restoration and repair of the places of worship damaged or destroyed during the communal violence, in consultation with and consensus of the members of the affected community;
- (j) formulate a comprehensive and affirmative scheme for welfare of victims of communal violence and devise a programme for implementing such schemes with the approval of the appropriate Government and implement the scheme.
- (k) activate the functioning of the district communal harmony committee;
- (l) maintain comprehensive data bank relating to the socio and economic development of victims of communal violence;
- (m) report to the appropriate Government the inadequacies or shortcomings in meeting with the situation and also on the remedial measures; and

(n) perform such other functions as may be incidental or ancillary thereto as may be assigned by the appropriate Government from time to time.

(3) While performing the functions under this section, the State Council shall follow such procedure as may be prescribed.

5 41. (1) The State Council shall prepare a plan for every State to be called the State communal harmony plan for promotion of communal harmony and prevention of communal violence, hereinafter called the State Plan, and recommend the same to the State Government for adoption.

State Plan for promotion of communal harmony and prevention of communal violence.

(2) The State Plan shall be prepared providing for—

10 (i) the measures to be adopted for prevention or mitigation of communal violence including the constitution of District Level Peace Committees;

(ii) the capacity-building and preparedness of measures to be taken to deal with communal violence including a Riot Prevention Scheme at the district and sub-district level.

15 (3) The State Government shall adopt the State Plan after such modification as considered necessary.

(4) The State Government shall cause the State Plan and also any advice, recommendation and guidelines issued under section 40 to be laid on the table of the State Legislature:

20 Provided that where the State Government does not accept any of the recommendations of the State Council under section 40 or under this section, it shall expressly state the reasons for not accepting the recommendation and submit it along with the Action Taken Report and cause the same to be laid on the table of the State Legislature as soon as may be while it is in session and where the State Legislature is not in session within fifteen days from the date of commencement of its session.

25 (5) The State Plan shall be reviewed and updated every two years.

(6) The State Government shall make appropriate provisions for financing the activities to be carried out under the State Plan.

30 42. (1) The State Government shall, by notification, establish a District Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Council in respect of each district in the State.

Constitution of District Council.

(2) The District Council shall consist of such number of members, not exceeding ten, as may be prescribed by the State Government, and unless the rules otherwise provides, it shall consist of the following members, namely:—

35 (a) the Collector or District Magistrate or Deputy Commissioner, as the case may be, of the district who shall be the Chairperson—*ex officio*;

(b) the Superintendent of Police of the District—Member, *ex officio*;

(c) the Chief Medical Officer of the District—Member, *ex officio*;

40 (d) such other district level officers of the Departments of Social Welfare, Tribal Welfare, Minority Welfare, Women and Child Development or such other Departments as may be prescribed by the State Government—Members, *ex officio*;

(e) two persons representing the Private Voluntary Organisations to be nominated by the State Government—Members;

(f) not less than five persons to be nominated in such a manner that all important religious groups in the district are represented in the District Council—Members;

45 (g) the terms and conditions of appointment of Members under clauses (e) and (f) shall be such as may be prescribed by the State Government.

Meetings of
District Council.

43. The District Council shall meet as and when necessary and at such time and place as the Chairperson may think fit.

Functions of
District Council.

44. (1) The District Council shall act as the district level coordinating and implementing body for relief and rehabilitation of victims of communal violence and take all measures for the purpose in accordance with the guidelines laid down by the National Council and the State Council including,—

(a) assessment of compensation in respect of the losses suffered by an individual in communal violence in respect of—

(i) loss of life and injuries sustained;

(ii) loss of, or damage to, homes, shops and such other structures and belongings;

(iii) destruction of, or damage to, business and the loss of means of livelihood;

(iv) impact of sexual assaults or abuse on women;

(b) setting-up of relief camps for victims of communal violence including—

(i) arrangements for providing security at such camps;

(ii) appropriate shelter for winter, monsoon or summer seasons;

(iii) food, drinking water, toilet and bathing facilities;

(iv) health services, certification of injuries at the camp itself and issuance of medical cards with a validity of six months for purchase of free medicine, psychosocial support like trauma counselling; and

(v) temporary ration cards valid for a specific period.

(2) The District Council shall prepare a District Plan for Promotion of Communal Harmony and Prevention of communal violence and recommend the same to the State Council.

(3) The District Council shall periodically review the implementation of the orders passed by any Court for award of compensation to victims of communal violence under the provisions of this Act and submit an annual report to the State Council.

CHAPTER VIII

NATIONAL COUNCIL

National
Communal
Disturbance
Relief and
Rehabilitation
Council.

45. (1) The Central Government shall, by notification, constitute, with effect from such date as it may specify in such notification, a council to be known as the National Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Council, consisting of not more than eleven members, to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it by or under this Act.

(2) The National Council shall consist of the following, namely:—

(i) the Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs—Member, *ex officio*;

(ii) the Secretary to the Government of India, Ministry of Defence—Member, *ex officio*;

(iii) the Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance—Member, *ex officio*;

(iv) four persons to be nominated by the Central Government representing Minority and weaker sections of the society—Members;

(v) four persons nominated by the Central Government representing other sections of the society who have been striving to maintain the communal harmony—Members.

(3) The Central Government shall appoint one of the Members of the National Council as its Chairperson.

46. (1) Every Member of the National Council (other than the *ex officio* Members) shall hold office for a term of four years from the date of their appointment.

Terms and conditions of Members of National Council.

5 (2) The travelling and other allowance payable to the Members of the National Council (other than the *ex officio* Members) shall be such as may be prescribed by the Central Government.

47. (1) The National Council shall recommend to the appropriate Government as to—

Powers and functions of National Council.

10 (a) how the victims of the communal violence should be helped and what kind of relief could be given to them;

(b) how the victims of the communal violence shall be rehabilitated;

(c) the kind of compensation to be given to the victims of the communal violence.

(2) The National Council shall advise the State Government as to the assistance to be given to the victims of communal violence.

15 (3) The National Council shall also perform such other act, which may help to control and contain communal violence and help to give relief and rehabilitation and compensation to the victims of communal violence.

20 (4) It shall be the duty of the National Council to visit the areas affected by the communal violence as soon the information of occurrence of such violence is received and to send a report of the situation prevailing in such areas along with its recommendations to the Central Government.

48. The National Council shall, from time to time, submit reports to the Central Government recommending the steps required to be taken to deal with the situation giving rights to communal violence.

Report of National Council.

25 CHAPTER IX

FUNDS FOR RELIEF AND REHABILITATION

49. (1) Every State Government shall establish a Fund to be called the State Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Fund and there shall be credited thereto—

State Fund.

30 (a) all moneys received from the Central Government;

(b) all moneys received from the State Government;

(c) all moneys received by way of gifts or donations from a public sector undertaking or a local authority or an individual or a private voluntary organisation for all or any of the purposes of this Act;

35 (d) amounts received as aid from the international organisations or organisations in India, where necessary, in terms of the existing regulations governing such aid, for the rehabilitation or welfare of victims of communal violence.

(2) The Fund shall be applied for the following purposes, namely:—

40 (a) for the purposes of grants for relief and rehabilitation as provided for under sections 40 and 42;

(b) for meeting the expenses for exercising or performing other powers and functions of the State Council under section 40; and

(c) for such other purposes as may be prescribed.

45 (3) The State Council shall submit an annual report to the National Council to review the implementation of the orders passed by the courts with regard to awarding of compensation to victims of communal violence.

Scheme for
grant of relief.

50. (1) Every State Government shall, by notification, make a scheme for providing funds for the purpose of grant of immediate compensation to the victims or their dependents in the event of loss of life or injury, as the case may be, or to those who have suffered loss or damage to property or loss of means of livelihood or as a result of an offence under the provisions of this Act. 5

(2) The Scheme shall be administered by the District Council.

District Fund.

51. Every State Government shall establish a Fund to be called the Victims Assistance Fund in each district and placed the same at the disposal of the District Council and there shall be credited thereto—

(a) all monies received from the State Government; 10

(b) all monies received by way of gifts or donations from a public or private sector undertakings or a local authority or an individual or a private voluntary organisation for any or all the purposes of this Act.

District Council
to function
under State
Council.

52. The District Councils in a State shall function under the overall supervision and directions of the State Council. 15

CHAPTER X

COMPENSATION TO VICTIMS

Compensation
to victims.

53. (1) Whenever a Special Court convicts a person for an offence punishable under this Act, it may, by its sentence, also pass an order that the offender shall make such monetary compensation as may be specified therein to the person mentioned in sub-section (5) for any loss or damage arising from such offence: 20

Provided that no such compensation shall be awarded to a person who is involved in any offence committed under the Indian Penal Code as specified in the schedule. 45 of 1860.

(2) The amount of compensation shall be such as is determined by the Special Court and be equitable, having regard to the provisions of sub-section (4). 25

(3) An order under sub-section (1) may be made in addition to any other punishment to which the person convicted is sentenced or where the offence is punishable with fine only, or with imprisonment for a period not exceeding three months, such order may be in lieu of any other punishment.

(4) Before passing any order under sub-section (1) the Special Court shall take into consideration the nature of the offence, the motive therefor, the economic status of the offender and the person in whose favour such order is made and all other relevant factors. 30

(5) The compensation awarded under sub-section (1) may be directed to be paid—

(i) to any person who has incurred expenses in prosecution or defraying any other expenses properly incurred; 35

(ii) to any person for any loss, damage or injury caused by the offence, when the compensation therefor is, in the opinion of the Special Court, recoverable by such person in a civil court;

(iii) in the case of a conviction for any offence for having caused the death of another person or of having abetted the commission of such offence to the person who are, under the Fatal Accidents Act, 1855, entitled to recover damages from the person sentenced, for the loss resulting to them from such death; 40 12 of 1855.

(iv) in the case of a conviction for any offence which includes theft, criminal misappropriation, criminal breach of trust, or cheating, robbery, dacoity, extortion or of having dishonestly received or retained, or having voluntarily assisted in disposing off stolen property knowing or having reason to believe the same to be stolen to any bona fide purchaser of such property for the loss of the same, if such property is restored to the possession of the person entitled thereto. 45

(6) At the time of awarding compensation in any subsequent civil suit relating to the same matter, the court shall take into account any sum paid or recovered as compensation under this section.

5 54. (1) The District Council shall entertain claims by or on behalf of persons affected by Communal Violence and the District Council shall decide the quantum of immediate compensation to be awarded to the victim or his dependents, as the case may be, after due inquiry within a period of one month from the date of the claim. Immediate compensation.

(2) The amount of compensation shall not be less than twenty per cent. of the full rate of compensation as prescribed under each category of cases.

10 (3) The compensation shall be disbursed to the victim after adjusting any amount of assistance he might have received under any other scheme of the State Government for grant of relief or compensation.

(4) The assistance from the District Fund may not be given to those victims or to the legal heirs if the victim is involved in the Commission of any offence under the provisions of this Act. 15

CHAPTER XI

SPECIAL POWERS OF THE CENTRAL GOVERNMENT TO DEAL WITH COMMUNAL VIOLENCE IN CERTAIN CASES

20 55. (1) Whenever the Central Government is of the opinion that one or more scheduled offences are being committed in any area within a State by any person or group of persons in such manner and on such a scale which involves the use of criminal force or violence against the members of any group, caste or community resulting in death or destruction of property and such use of criminal force or violence is committed with a view to create disharmony or feelings of enmity, hatred or ill-will between different groups, castes or communities and 25 there is an imminent threat to the secular fabric, unity, integrity or internal security of India which requires that immediate steps shall be taken by the State Government concerned, it shall—

Power of Central Government to give directions to State Government and issue notifications, etc.

(a) draw the attention of the State Government to the prevailing situation in that area; and

30 (b) direct the State Government to take all immediate measures to suppress such violence or the use of criminal force within such time as may be specified in the direction.

(2) The State Government shall take appropriate action to prevent and control communal violence on the issue of a direction under sub-section (1).

35 (3) Where the Central Government is of opinion that the directions issued under sub-section (2) are not followed, it may take such action as is necessary including—

(a) the issue of a notification declaring any area within a State as a "communally disturbed area";

40 (b) the deployment of armed forces, to prevent and control communal violence, on a request having been received from the State Government to do so.

(4) Where it is decided to deploy armed forces under sub-section (3), the Central Government or the State Government may constitute an authority to be known as Unified Command for the purpose of co-ordinating and monitoring the role and responsibilities of the forces of the Union and States and for giving appropriate directions to such forces.

45 (5) The forces deployed under sub-section (3) shall act under the control and as per the directions of the District Magistrate or any officer nominated by the State Government or the Unified Command.

(6) Every notification issued by the Central Government under clause (a) of sub-section (3) shall be laid before each House of Parliament.

Power of Central Government to extend or modify notifications issued under section 55.

56. (1) A notification under section 55 shall specify the period for which the area shall remain so notified:

Provided that the period specified under such notification shall not, in the first instance, exceed thirty days: 5

Provided further that the Central Government may extend the said period, by notification, if in its opinion the area continues to be a communally disturbed area:

Provided also that the total period during which an area may be notified as a communally disturbed area shall not exceed a total continuous period of sixty days. 10

(2) Where the Central Government is satisfied that such disturbance of public peace and tranquillity as is referred to in sub-section (1) no longer persists in such area, it shall amend the notification issued in respect of that area to limit the period specified therein [whether originally or by amendment under sub-section (1)]. 15

CHAPTER XII

POWERS, DUTIES AND IMMUNITIES OF THE OFFICERS

Protection of action taken in good faith.

57. (1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government, the Central Government or any officer or authority of such Government or any other person or any member of the State Council, National Council or District Council for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder. 20

(2) It shall be the duty of the State Government or Central Government, as the case may be, to provide required legal aid to an officer or authority facing a suit or legal proceedings in terms of sub-section (1).

(3) Any officer or authority of the State Government or the Central Government who suffers an injury or is killed in the discharge of his duty while acting under the provisions of this Act shall be given special compensation or *ex gratia* relief at double the rate of such compensation or *ex gratia* relief as is admissible in respect of other Government servants on duty in terms of the existing rules or guidelines framed by the State Government or the Central Government, as the case may be. 25
30

CHAPTER XIII

MISCELLANEOUS

Prohibition against discrimination.

58. While providing compensation and relief to the victims of communal violence,—

(a) there shall be no discrimination on the ground of sex, caste, community, descent or religion; and 35

(b) uniformity of assistance irrespective of caste, community or religion is maintained.

Application of other laws not barred.

59. Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other laws for the time being in force except to the extent the provisions of other laws are inconsistent with the provisions of this Act. 40

Power of Central Government to make rules.

60. (1) The Central Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the travelling and other allowances payable to the Members of the National Council under sub-section (1) of section 46; 45

(b) any other matter which is required to be, or may be, prescribed by the Central Government.

(3) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

61. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power of State Government to make rules.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the term of members appointed under clauses (g) and (h) of section 39;
- (b) the procedure to be followed by the State Council while performing its functions under sub-section (2) of section 40;
- 20 (c) the number of members of the District Council and such other Departments which may be represented by the district level officers in the District Council under clause (d) of sub-section (2) of section 42;
- (d) the terms and conditions of appointment of members under clauses (e) and (f) of sub-section (2) of section 42;
- 25 (e) the other purposes for which the State Fund shall be applied under clause (c) of sub-section (2) of section 49;
- (f) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

(3) Every notification, rule and Scheme made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of State Legislature where it consists of two Houses, or where such Legislature consists of one House, before that House.

30 62. In the Representation of the People Act, 1951, in section 8, in sub-section (2), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

Amendment of section 8 of Act 43 of 1951.

“(ca) Any provision of the Communal Violence (Prevention, Control and Rehabilitation of Victims) Act, 2005.”.

THE SCHEDULE

[See Clause (f) of sub-section (j) of section 2]

1. Offences under the following provisions of the Indian Penal Code (45 of 1860):—

Sections 120B, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 153A, 153B, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 295, 295A, 296, 297, 298, 302, 303, 304, 307, 308, 323, 324, 325, 326, 327 to 335, 341 to 348, 352, 353, 354, 355 to 358, 363 to 369, 376, 379, 380, 383, 384 to 387, 392, 402, 411, 412, 426, 427, 431, 435, 436, 440, 447 to 462, 504 to 506 and 509.

2. Offences under the following provisions of the Arms Act, 1959 (54 of 1959):—

Sections 25, 26, 27, 28 to 30.

3. Offences under the following provisions of the Explosives Act, 1884 :—

Sections 6(3), 8(2) and 9B.

4. Offences under the following provisions of the Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 (3 of 1984) —Sections 3 and 4.

5. Offence under the following provisions of the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 (42 of 1991)—Section 6.

6. Offences under the following provisions of the Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988 (41 of 1988) —Section 7.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Communal violence threatens the secular fabric, unity, integrity and internal security of a nation. With a view to empowering the State Governments and the Central Government to take effective measures to provide for the prevention and control of communal violence and to rehabilitate the victims of such violence, for speedy investigation and trial of offences including imposition of enhanced punishments, than those provided in the Indian Penal Code, on persons involved in communal violence and for matters connected therewith, it has been decided to enact a law by Parliament.

2. The Bill, *inter alia*, seeks to—

(i) provide for declaration of certain areas as communally disturbed areas by the State Governments;

(ii) lay down measures for prevention of acts leading to communal violence;

(iii) enhance punishments for offences relating to communal violence and for certain other offences;

(iv) make provisions for speedy investigation and trial of offences through Special Courts;

(v) make institutional arrangements for relief and rehabilitation measures for victims of communal violence;

(vi) make provisions for compensation to the victims of communal violence and provide for special powers to the Central Government in certain cases;

(vii) provide for constitution of a National Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Council, State Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Council and District Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Council; and

(viii) prohibit any discrimination in providing compensation and relief to the victims of communal violence on grounds of sex, caste, community or religion.

3. The Notes on clauses explain in detail the various provisions contained in the Bill.

4. The Bill seeks to achieve the above objects.

SHIVRAJ V. PATIL.

NEW DELHI;

The 26th November, 2005.

PRESIDENT'S RECOMMENDATION UNDER ARTICLE 117(3) OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(Copy of letter No. 11034/20/2004-NI-I(Vol-V) dated the 29th November, 2005 from Shri Shivraj Vishwanath Patil, Minister of Home Affairs to the Secretary-General, Rajya Sabha).

'The President having been informed of the subject matter of the proposed "The Communal Violence (Prevention, Control and Rehabilitation of Victims) Bill, 2005", recommends to the House the consideration of the Bill under Article 117(3) of the Constitution.'

Clause 1.— This clause provides for the short title of the proposed legislation, the area of its operation and its commencement. The proposed legislation will not be applicable to the State of Jammu and Kashmir. As certain preparatory steps are required to be taken before the proposed legislation is brought into force, it is proposed to empower the Central Government to bring it into force on such date as it may appoint by notification in the Official Gazette. The Central Government may notify different dates for different provisions of the Bill. However, the power to bring Chapters II to VI (both inclusive) of the Bill is proposed to be vested in the State Government.

Clause 2.— This clause contains definitions of certain words and expressions used in the Bill. These definitions include the definitions of “communally disturbed area”, “communal violence”, “competent authority”, “relief and rehabilitation”, “scheduled offence”, “State Fund” and “Unified Command”. It has also been provided that the expressions used in the Explosives Act, 1884 or the Arms Act, 1959 shall be applicable to the interpretation of the words used in the proposed legislation and not defined therein but defined in those Acts. The expression “communal violence” means any act of omission or commission which constitutes a scheduled offence and which is punishable under sub-clause (1) of clause 19 of the proposed legislation.

Clause 3.— This clause deals with the powers of the State Government to declare an area to be a communally disturbed area in certain circumstances.

Clause 4.— This clause lays down the measures to be taken by the State Government to prevent and control communal violence in a communally disturbed area.

Clause 5.— This clause lays down the powers of District Magistrate to take preventive measures in case of a situation which has arisen causing apprehension of breach of peace and creation of discord between members of different groups, castes or communities.

Clauses 6 to 10.— These clauses describe the powers of the competent authority to take preventive measures in a notified communally disturbed area.

Clauses 11 to 15.—These clauses provide for the punishment for various offences like loitering near prohibited places in violation of orders, being in possession of arms, etc., without licences, for assisting offenders, for giving financial aid for the commission of certain offences and for threatening witnesses.

Clause 16.— This clause provides for the punishment for the driver, owner or any person in charge of goods transport vehicle for carrying more persons than authorized.

Clause 17.— This clause provides for punishment for public servants acting in *mala fide* manner and for failure to discharge their duties through wilful commissions or omissions.

Clause 18.— This clause provides for the punishment for violation of orders under section 144 of the Code of Criminal Procedure, 1973 in a communally disturbed area.

Clause 19.— This clause prescribes the criterion for communal offence and enhanced punishment for committing communal violence.

Clause 20.— This clause provides that the scheduled offences shall be cognizable offences for the purposes of the proposed legislation.

Clause 21.— This clause provides for declaration of certain places to be police stations.

Clause 22.— This clause empowers the State Government to constitute a Review Committee headed by an officer of the level of Inspector General of Police to review cases of scheduled offences where the trial ends in acquittal and to issue orders for filing of appeals, wherever required. The Committee is required to submit a report on its findings and the action taken in each case to the Director General of Police.

Clause 23.— This clause provides for the constitution of one or more Special Investigation Teams by the State Government in case the State Government comes to the conclusion that the investigation of offences committed in a communally disturbed area were not carried out properly in a fair and impartial manner.

Clause 24.— This clause provides that the State Government shall, by notification in the Official Gazette, establish one or more special courts for the trial of scheduled offences committed during the period of disturbance.

Clauses 25 to 33.— These clauses lay down the various administrative and procedural aspects in relation to the Special Courts to facilitate speedy trial of offences and awarding of punishment to the guilty. These aspects include – (i) composition and appointment of Judges of Special Courts; (ii) place of sitting of Special Courts; (iii) jurisdiction of Special Courts; (iv) powers of Special Courts with respect to other offences; (v) appointment of Public Prosecutors; (vi) procedure and powers of Special Courts; (vii) power of Supreme Court to transfer cases; (viii) protection of witnesses; and (ix) power to transfer cases to regular courts.

Clauses 34 to 36.— These clauses lay down the procedure for imposing certain restrictions on movement of persons in communally disturbed areas and dealing with appeals against such restrictions imposed.

Clause 37.— This clause provides for abolition of certain Special Courts when a notified area ceases to be a communally disturbed area.

Clauses 38 to 48.— These clauses provide for establishment of institutional arrangements for relief and rehabilitation measures through constitution of State Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Council, its composition and functions (Clauses 38 to 40), State Plan for promotion of communal harmony and prevention of communal violence (clause 41); constitution of District Councils, their composition and functions (clauses 42-44); constitution of National Council and its composition (clause 45), terms and conditions of members of the National Council (clause 46), the powers and functions of the National Council (clause 47) and submission of Report by the National Council to the Central Government (clause 48).

Clauses 49 to 51.— These clauses provide for the establishment of funds for relief and rehabilitation which include establishing- (i) State Fund, purpose and submission of annual report to the National Council (Clause 49); (ii) Scheme for grant of relief or immediate relief (clause 50) and establishment of District Fund (clause 51).

Clause 52.— This clause lays down that the District Councils shall function under State Council.

Clause 53.— This clause lays down the modalities for payment of compensation to victims as per the orders of the Special Courts.

Clause 54.— This clause provides for the payment of immediate compensation to the victims of communal violence through the District Council.

Clauses 55 and 56.— These clauses lay down the Special powers of the Central Government to deal with communal violence in certain cases.

Clause 57.— This clause lays down the power, duties and immunities of officers and for protection of action taken in good faith as well as grant of special compensation or *ex-gratia* relief at double the rates admissible for officer or authority who suffers an injury or death in the discharge of his duties while acting under the provisions of the proposed legislation.

Clause 58.— This clause imposes prohibition against discrimination on grounds of sex, caste, community, descent or religion while providing compensation or relief to the victims of communal violence.

Clause 59.— This clause provides that the application of other laws are not barred and the provisions of the proposed legislation shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force.

Clause 60.— This clause empowers the Central Government to make rules for carrying out the provisions of the proposed legislation. These rules, *inter alia*, relate to the travelling and other allowances payable to the members of the National Council.

Clause 61.— This clause empowers the State Government to make rules for carrying out the provisions of the proposed legislation. These rules may, in particular, relate to the terms of members of the State Council (clause 39), procedure to be followed by the State Council (clause 40), composition of the District Council and terms and conditions of its members (clause 42), other purposes for which the State Fund shall be applied (clause 49).

Clause 62.— This clause seeks to insert a new clause (ca) in sub-section (2) of section 8 of the Representation of People Act, 1951 so as to lay down that any person convicted for the contravention of the provisions of the proposed legislation shall incur disqualification under the said section 8.

The Schedule to the proposed legislation enumerates the various offences which shall be the scheduled offences for the purposes of the proposed legislation.

MEMORANDUM REGARDING DRAFTED LEGISLATION

FINANCIAL MEMORANDUM

Sub-clause (1) of clause 45 of the Bill provides that the Central Government shall, by notification, constitute, with effect from such date as it may specify in such notification, a council to be known as the National Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Council, consisting of not more than eleven members, to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it by or under the proposed legislation. Sub-clause (1) of clause 46 lays down that every Member of the National Council (other than the *ex officio* Members) shall hold office for a term of four years from the date of their appointment. Sub-clause (2) of the said clause provides that the travelling and other allowances payable to the Members of the National Council (other than the *ex officio* Members) shall be such as may be prescribed by the Central Government.

2. Sub-clause (1) of clause 49 of the Bill, *inter alia*, stipulates that every State Government shall establish a Fund to be called the State Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Fund and there shall be credited thereto all moneys received from the Central Government. In case the Central Government decides to contribute to the State Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Fund expenditure from the Consolidated Fund of India would be involved.

3. Sub-clause (1) of clause 50 of the Bill provides that every State Government shall prepare a Scheme for providing funds for the purpose of grant of immediate compensation to the victims or their dependents in the event of loss of life or injury, as the case may be, or to those who have suffered loss or damage to property or loss of means of livelihood or as a result of an offence under the provisions of the proposed legislation. Clause 51 provides that every State Government shall establish a Fund to be called the Victims Assistance Fund in each district and placed the same at the disposal of the District Council and there shall be credited thereto, *inter alia*, all monies received from the State Government. Since the Central Government being the Government in respect of the Union territories, some expenditure on this account may have to be borne by the Central Government.

4. As involvement of expenditure depends mainly on the occurrence of communal violence, it is difficult to make an estimate of the expenditure, both recurring and non-recurring, from the Consolidated Fund of India.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Sub-clause (1) of clause 60 of the Bill provides that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of the proposed legislation. Sub-clause (2) of the said clause enumerates the matters in respect of which such rules may be made under the proposed legislation. These matters relate to the travelling and other allowances payable to the Members of the National Council as well as any other matter which are required to be, or may be, prescribed by the Central Government.

2. Clause 50 of the Bill seeks to empower the State Governments to make, by notification, schemes for providing funds for the purpose of grant of immediate compensation to the victims or their dependents of communal violence.

3. Sub-clause (1) of clause 61 of the Bill empowers the State Governments to make rules to carry out the purposes of the proposed legislation. Such rules may, *inter alia*, provide for the term of members of the State Council appointed under clause 39, the procedure to be followed by the State Council while performing its functions under sub-clause (2) of clause 40, the number of members of the District Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Council and such other Departments which may be represented by the district level officers in the District Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Council under clause (d) of sub-clause (2) of clause 42, the terms and conditions of appointment of members of the District Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Council under clauses (e) and (f) of sub-clause (2) of clause 42, the other purposes for which the State Communal Disturbance Relief and Rehabilitation Fund shall be applied under paragraph (c) of sub-clause (2) of clause 49 and any other matter which is required to be, or may be prescribed.

4. The rules made by the Central Government under the Bill are required to be laid before Parliament and the rules and schemes made by the State Government are required to be laid before the State Legislature.

5. The matters in respect of which rules or scheme may be made are matters of procedure or administrative detail and it is not practicable to provide for them in the Bill itself. The delegation of legislative power is, therefore, of a normal character.

RAJYA SABHA

EXTRACT FROM THE REGISTRATION OF THE HOUSE, 1951

(41 OF 1951)

Classification
of conviction
from certain
offences

(1)



(2) A person convicted of the offence of

A

BILL

to empower the State Governments and the Central Government to take measures to provide for the prevention and control of communal violence which threatens the secular fabric, unity, integrity and internal security of the Nation and rehabilitation of victims of such violence and for matters connected therewith or incidental thereto.

(Shri Shivraj Vishwanath Patil, Minister of Home Affairs)

ANNEXURE

EXTRACT FROM THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951

(41 of 1951)

* * * * *

8. (1) * * * * *

(2) A person convicted for the contravention of—

* * * * *

Disqualification
on conviction
from certain
offences.

to empower the State Government or the Central Government to take measures to provide
for the prevention and control of communal violence which threaten the security
of the Nation and integrity and national unity of the Nation and rehabilitation of victims
of such violence and for related purposes.

सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

कतिपय क्षेत्रों की सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषणा

3. राज्य सरकार की किसी क्षेत्र को सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की शक्ति ।
4. राज्य सरकार द्वारा किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र को ऐसा घोषित करने पर किए जाने वाले उपाय ।

अध्याय 3

सांप्रदायिक हिंसा को आगे बढ़ाने वाले कार्यों का निवारण

5. जिला मजिस्ट्रेट की निवारक उपायों को करने की शक्ति ।
6. सक्षम प्राधिकारी की निवारक उपाय करने की शक्ति ।
7. आयुध, गोला बारूद आदि को जमा करने का आदेश देने की शक्ति ।
8. सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रों में आयुधों आदि की तलाशी लेने परिसीध करने और अभिग्रहण करने की शक्ति ।
9. कतिपय कार्यों को प्रतिषिद्ध करने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति ।
10. सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र में व्यक्तियों के आचरण के संबंध में आदेश करने की शक्ति ।
11. प्रतिषिद्ध स्थानों के निकट संदेहास्पद स्थिति में घूमने के लिए दंड ।
12. अनुज्ञापति के बिना आयुध आदि को कब्जे में रखने के लिए दंड ।
13. अपराधियों की सहायता करने के लिए दंड ।
14. इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए दंड ।
15. साक्षियों आदि को धमकी देने के लिए दंड ।
16. माल परिवहन यान के ड्राइवर, स्वामी या किसी भास्साधक किसी व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों का न ले जाया जाना ।

खंड

17. असदभावपूर्वक रीति में कार्य करने वाले लोक सेवकों के लिए दंड ।
18. सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रों में संहिता की धारा 144 के अधीन आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड ।

अध्याय 4**सांप्रदायिक हिंसा और कतिपय अन्य अपराधों के लिए वर्धित दंड**

19. सांप्रदायिक हिंसा करने के लिए दंड ।

अध्याय 5**अन्वेषण**

20. अनुसूचित अपराधों का संज्ञेय होना ।
21. स्थानों की पुलिस थानों के रूप में घोषणा ।
22. पुनर्विलोकन समिति का गठन ।
23. विशेष अन्वेषण दलों का गठन ।

अध्याय 6**विशेष न्यायालय**

24. विशेष न्यायालयों की स्थापना ।
25. विशेष न्यायालयों का गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति ।
26. बैठक का स्थान ।
27. विशेष न्यायालय की अधिकारिता ।
28. अन्य अपराधों के बारे में विशेष न्यायालय की शक्ति ।
29. लोक अभियोजक ।
30. विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां ।
31. मामले को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति ।
32. साक्षियों को संरक्षण ।
33. नियमित न्यायालयों को अंतरित करने की शक्ति ।
34. ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना, जो अनुसूचित अपराध किए जाने की संभावना है ।
35. किसी व्यक्ति के स्वयं को क्षेत्र से हटाने में असफल रहने और हटाए जाने के पश्चात् वहां प्रवेश करने पर प्रक्रिया ।
36. अपील ।
37. कतिपय विशेष न्यायालयों का समापन ।

अध्याय 7**अनुतोष और पुनर्वास के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं**

38. राज्य सांप्रदायिक विक्षुब्ध अनुतोष और पुनर्वास परिषद् ।
39. राज्य परिषद् का गठन ।

खंड

40. परिषद् के कृत्य ।
41. सांप्रदायिक सामंजस्य के संवर्द्धन और सांप्रदायिक हिंसा के निवारण के लिए राज्य योजना ।
42. जिला परिषद् का गठन ।
43. जिला परिषद् की बैठकें ।
44. जिला परिषद् के कृत्य ।

अध्याय 8**राष्ट्रीय परिषद्**

45. राष्ट्रीय सांप्रदायिक उपद्रव अनुतोष और पुनर्वास परिषद् ।
46. राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों की पदावधि और शर्तें ।
47. राष्ट्रीय परिषद् की शक्तियां और कृत्य ।
48. राष्ट्रीय परिषद् की रिपोर्ट ।

अध्याय 9**राहत और पुनर्वास के लिए निधियां**

49. राज्य निधि ।
50. राहत प्रदान करने के लिए स्कीम ।
51. जिला निधि ।
52. जिला परिषद् का राज्य परिषद् के अधीन कार्य करना ।

अध्याय 10**पीड़ितों को प्रतिकर**

53. पीड़ितों को प्रतिकर ।
54. तुरंत प्रतिकर ।

अध्याय 11**केन्द्रीय सरकार की कतिपय मामलों में सांप्रदायिक हिंसा से निपटने की विशेष शक्तियां**

55. केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकारों को निदेश देने तथा अधिसूचनाएं जारी करने आदि की शक्ति ।
56. केन्द्रीय सरकार की धारा 51 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं का विस्तारण करने या उपांतरण करने की शक्ति ।

अध्याय 12**अधिकारियों की शक्तियां, कर्तव्य और उन्मुक्तियां**

57. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

अध्याय 13**प्रकीर्ण**

58. विभेद का प्रतिषेध ।
59. अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित नहीं होना ।

खंड

60. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति ।
61. राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति ।
62. 1951 के अधिनियम 43 की धारा 8 का संशोधन ।

अनुसूची

[दि कम्प्यूनाल वायलेंस (प्रिवेंसन, कन्ट्रोल एंड रिहैबिलिटेशन आफ विक्टिम्स) बिल, 2005
का हिन्दी अनुवाद]

सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005

राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार को ऐसी सांप्रदायिक हिंसा के, जो राष्ट्र की
पंथ निरपेक्ष रचना, एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा को भयाक्रान्त
करती हो, निवारण और नियंत्रण का और ऐसी हिंसा के पीड़ितों
के पुनर्वास का तथा उनसे संबंधित या उनसे आनुवंशिक
विषयों का उपबंध करने के लिए
उपाय करने हेतु सशक्त
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित
हो :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) अधिनियम, 2005 है ।
- (2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।
- (3) यह संघ राज्यक्षेत्रों में उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारंभ ।

(4) इस अधिनियम के उपबंध, अध्याय 2 से अध्याय 6 के सिवाय, (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) राज्यों में उस तारीख को, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, प्रवृत्त होंगे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा अध्याय 2 से, अध्याय 6 के उपबंध (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “संहिता” से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अभिप्रेत है ;

1974 का 2

(ख) “सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र” से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) के अधीन या धारा 55 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन उस रूप में घोषित किया गया हो ;

(ग) “सांप्रदायिक हिंसा” से ऐसा लोप या करण त्रुटि अभिप्रेत है, जिससे किसी अनुसूचित अपराध का गठन होता है और जो धारा 19 के अधीन दंडनीय है ;

(घ) “सक्षम प्राधिकारी” से ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में या धारा 55 की उपधारा (4) के अधीन एकीकृत कमान के रूप में नियुक्त करे ;

(ङ) “जिला परिषद्” से धारा 42 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित जिला सांप्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास परिषद् अभिप्रेत है ;

(च) “जिला निधि” से धारा 51 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित पीड़ित सहायता निधि अभिप्रेत है ;

(छ) “राष्ट्रीय परिषद्” से धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सांप्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास परिषद् अभिप्रेत है ;

(ज) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(झ) “उपद्रव की कालावधि” से सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के संबंध में वह कालावधि अभिप्रेत है जिसके दौरान उसे, यथास्थिति, धारा 3 या धारा 55 के अधीन उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है ;

(ञ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ट) “राहत और पुनर्वास” के अंतर्गत आश्रय, चिकित्सीय देखभाल, खाद्य, वस्त्र, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और परामर्श अथवा राहत के ऐसे अन्य उपायों का, जो राज्य परिषद् या जिला परिषद् द्वारा सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए आवश्यक समझे जाएं, उपबंध करना है ;

(ठ) “अनुसूचित अपराध” से अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध अभिप्रेत है ;

(ड) “विशेष न्यायालय” से धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित कोई विशेष न्यायालय या उपधारा (2) के अधीन स्थापित कोई अपर विशेष न्यायालय अभिप्रेत है ;

(ढ) “राज्य परिषद्” से धारा 39 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित

सांप्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास परिषद् अभिप्रेत है ;

(ण) "राज्य निधि" से धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य सांप्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास निधि अभिप्रेत है ;

(त) "एकीकृत कमान" से धारा 55 की उपधारा (4) के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों या पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु विस्फोटक अधिनियम, 1884 या आयुध अधिनियम, 1959 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके हैं ।

अध्याय 2

कतिपय क्षेत्रों की सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषणा

3. (1) जब कभी राज्य सरकार की यह राय है कि एक या अधिक अनुसूचित अपराध किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा,—

(क) ऐसी रीति से और ऐसे मापमान पर किए जा रहे हैं, जो किसी समूह, जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा के प्रयोग को अंतर्वलित करता है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या संपत्ति का नाश होता है ; और

(ख) आपराधिक बल या हिंसा का ऐसा प्रयोग विभिन्न समूहों, जातियों या समुदायों के बीच असंगतता अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावना का सृजन करने की दृष्टि से किया जा रहा है ; और

(ग) जब तक कि तुरंत उपाय नहीं किए जाते हैं, भारत की धर्म निरपेक्ष रचना, अखंडता, एकता और आंतरिक सुरक्षा को खतरा होगा, तो वह अधिसूचना द्वारा,—

(i) ऐसे क्षेत्र को सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगी ;

(ii) ऐसे क्षेत्र का एकल न्यायिक जोन में या इतने न्यायिक जोनों में, जितने वह ठीक समझे, गठन कर सकेगी ।

(2) किसी क्षेत्र के संबंध में उपधारा (1) के अधीन किसी अधिसूचना में वह कालावधि विनिर्दिष्ट होगी जिसके दौरान वह क्षेत्र, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र होगा :

परंतु ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि, प्रथमतः, तीस दिन से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्य सरकार ऐसी अधिसूचना को, समय-समय पर ऐसी अवधि का किसी ऐसी अवधि तक, जो किसी एक समय पर तीस दिन से अधिक न हो, विस्तार करने के लिए संशोधित कर सकेगी, यदि उस सरकार की राय में लोक शांति या परिशांति ऐसे क्षेत्र में उपद्रव-ग्रस्त बनी रहती है ।

(3) जहां कोई क्षेत्र उपधारा (1) के अधीन सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है वहां राज्य सरकार के लिए ऐसे सभी उपाय करना विधिपूर्ण होगा जो उस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक हों ।

(4) जब अधिसूचना उपधारा (1) के अधीन जारी की जाती है, तब राज्य सरकार, राज्य सरकार के एक या अधिक अधिकारियों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करेगी और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे ।

राज्य सरकार की किसी क्षेत्र को सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की शक्ति ।

राज्य सरकार द्वारा किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र को ऐसा घोषित करने पर किए जाने वाले उपाय ।

4. (1) जहां राज्य सरकार ने धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन किसी क्षेत्र को सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है वहां वह ऐसे तुरंत उपाय करेगी जो ऐसे क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा का निवारण और नियंत्रण करने के लिए आवश्यक हों ।

(2) यदि राज्य सरकार की यह राय है कि केंद्रीय सरकार की सहायता सांप्रदायिक हिंसा का नियंत्रण करने के लिए अपेक्षित है, तो वह केंद्रीय सरकार से संघ के सशस्त्र बलों को हिंसा का नियंत्रण करने के लिए अभिनियोजित करने का अनुरोध कर सकेगी ।

अध्याय 3

सांप्रदायिक हिंसा को आगे बढ़ाने वाले कार्यों का निवारण

जिला मजिस्ट्रेट की निवारक उपायों को करने की शक्ति, आदि ।

5. (1) इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब कभी जिला मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी अधिकारिता के भीतर किसी क्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां विभिन्न समूहों, जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच शांति भंग होने या मतभेद के सृजन की आशंका है, वहां वह, लिखित आदेश द्वारा, किसी ऐसे कार्य का प्रतिषेध कर सकेगा जिससे उसकी राय में दूसरे समुदाय या जाति या समूह के मस्तिष्क में ऐसी आशंका कारित होने की संभावना है कि वह उस समुदाय या जाति या समूह के विरुद्ध उसे अभिन्नस्त करने, धमकी देने या अन्यथा वैमनस्य की वृद्धि करने के लिए निदेशित है ।

(2) धारा 6, धारा 7, धारा 9 और धारा 10 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिला मजिस्ट्रेट को भी वही शक्तियां होंगी, जो उक्त धाराओं के उपबंधों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में हैं ।

(3) जो कोई इस धारा के अधीन किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष के अधिक का हो सकेगा या जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा ।

सक्षम प्राधिकारी की निवारक उपाय करने की शक्ति ।

6. (1) कोई सक्षम प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर किसी क्षेत्र में, जिसे सामुदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र अधिसूचित कर दिया गया है, लिखित आदेश द्वारा,—

(i) किसी स्थान या गली में किसी जनसमूह या जुलूस को और साधारण या विशेष सूचना द्वारा मार्गों को, यदि कोई हो, जिनसे और वह समय जिस पर ऐसा जुलूस गुजर सकेगा या नहीं गुजर सकेगा, संचालित करने का निदेश देगा;

(ii) यह समाधान हो जाने पर कि कोई व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग, कोई जन समूह या कोई जुलूस किसी स्थान या गली में संयोजित या इकठ्ठा करने का अर्थवा कोई जन समूह या जुलूस बनाने का आशय रखता है, जिससे उसके निर्णयानुसार, यदि वह अनियंत्रित रहा तो, परिशान्ति भंग होने की संभावना है, ऐसे जन समूह या जुलूस को संयोजित या इकठ्ठा करने वाले अथवा ऐसे जन समूह या जुलूस को निदेशित करने वाले या उसका संप्रवर्तन करने वाले व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वह किसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किए बिना और उसे अभिप्राप्त किए बिना ऐसा नहीं करेगा ; और

(iii) लाउड स्पीकर, संगीत या ध्वनि संवर्धकों या किसी अन्य शोर मचाने वाले उपकरण के किसी गली या लोक स्थान या किसी निजी स्थान में उपयोग को, यदि उसके प्रयोग से आस-पड़से में क्षोभ पैदा होता है, प्रतिषिद्ध या विनियमित करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश ऐसी अवधि के लिए, जो आवश्यक हो या तीस दिन के लिए, इनमें से जो भी कम हो, प्रवृत्त रहेगा :

परंतु यह कि राज्य सरकार आदेश के प्रभाव का पुनर्विलोकन करने के पश्चात् यदि ऐसे क्षेत्र में विभिन्न समूहों, जातियों या समुदायों के बीच सांप्रदायिक शांति या समरसता के संरक्षण या लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक समझती है तो अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया आदेश पहले आदेश की तारीख से साठ दिनों से अनधिक की ऐसी और अवधि के लिए प्रवृत्त बना रहेगा।

7. (1) जब किसी क्षेत्र को किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है तब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या सभी व्यक्तियों को किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र में सभी आयुधों, गोला-बारूद, विस्फोटकों और संक्षारक पदार्थ को निकटतम पुलिस थाने में तुरंत जमा करने का निदेश दे सकेगा, चाहे ऐसे व्यक्ति के पास ऐसे आयुध, गोला-बारूद, विस्फोटक, संक्षारक पदार्थ को रखने की कोई अनुज्ञप्ति हो या नहीं :

परंतु यह कि सक्षम प्राधिकारी किसी व्याप्टे या व्यष्टियों के वर्ग को, ऐसे आदेश के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(2) जो कोई इस आदेश के अधीन किए गए किसी आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, किसी ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

8. जब किसी क्षेत्र को, सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर दिया गया हो, तब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि,—

(क) सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के भीतर उसकी अधिकारिता की सीमाओं में निवास करने वाले किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई आयुध या गोला-बारूद या विस्फोटक और संक्षारक पदार्थ किसी विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए उसके कब्जे में हैं ; और

(ख) ऐसे व्यक्ति के कब्जे में कोई आयुध या गोला-बारूद या विस्फोटक और संक्षारक पदार्थ लोक शान्ति या सुरक्षा के खतरे के बिना उसके कब्जे में नहीं छोड़े जा सकते हैं,

तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी स्वयं या भारसाधक अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पुलिस उपनिरीक्षक की पंक्ति से अन्यून का दूसरा अधिकारी ऐसे गृह या परिसरों की तलाशी ले सकेगा, जो ऐसे व्यक्ति के अधिभोग में हैं या जिनमें भारसाधक अधिकारी यह विश्वास करने का कारण रखता है कि ऐसे आयुध, गोला-बारूद, विस्फोटक या संक्षारक पदार्थ हैं या पाए जाने हैं और ऐसे आयुध गोला-बारूद, विस्फोटक या संक्षारक पदार्थ, यदि कोई हों, हो सकते हैं, उनका ऐसे अवधि के लिए जो वह आवश्यक समझे, अभिग्रहण कर सकेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकेगा भले ही वह व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधार पर उन्हें अपने कब्जे में रखने का हकदार हो।

9. (1) जब किसी क्षेत्र को सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया है तब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई सक्षम प्राधिकारी, अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्रों में जब कभी और ऐसे समय के लिए जो वह आवश्यक समझे, किन्हीं व्यष्टियों को, किसी अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रख्यापित या संबोधित करके लोक शांति या लोक सुरक्षा के परिरक्षण के लिए, किसी नगर, ग्राम या स्थान या किसी ऐसे नगर, ग्राम या स्थान के परिक्षेत्र में किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-

आयुध गोला-बारूद आदि को जमा करने का आदेश देने की शक्ति।

सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रों में आयुधों आदि की तलाशी लेने, परिशोध करने और अभिग्रहण करने की शक्ति।

कतिपय कार्यों को प्रतिबिद्ध करने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति।

ग्रस्त क्षेत्र में—

(क) आयुधों, दंडों, तलवारों, भालों, मोटी छद्मों, बंदूकों, चाकुओं, सोटों या लाठियों या किसी अन्य वस्तु को ले जाने का, जिसका शारीरिक हिंसा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है ;

(ख) किसी संक्षारक पदार्थ या विस्फोटक को ले जाने का ;

(ग) पत्थरों या अन्य मिसाइलों या उपकरणों या मिसाइलों को ढालने या चलाने की युक्तियों को ले जाने, संग्रह करने और तैयार करने का ;

(घ) व्यक्तियों या व्यक्तियों के शर्तों या उनके पुतलों के प्रदर्शन का ;

(ङ) लोक धुनों को चीखकर गाने या गानों को गाने, संगीत बजाने का ;

(च) उग्र प्रवचन करने, संकेत या धमकी का प्रयोग करने और तस्वीरों, प्रतीकों, प्लेकार्डों किसी अन्य वस्तु या चीज के प्रदर्शन या प्रसारण का,

प्रतिषेध कर सकेगा जिससे ऐसे प्राधिकारी की राय में लोक शांति का भंग होता हो ।

(2) यदि कोई व्यक्ति ऐसे प्रतिषेध के उल्लंघन में किसी ऐसी वस्तु से सज्जित होकर जाता है या कोई संक्षारक पदार्थ या विस्फोटक या मिसाइल ले जाता है तो वह निःशस्त्र किए जाने का दायी होगा या संक्षारक पदार्थ या विस्फोटक या मिसाइल किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उससे अभिहित किए जाने का दायी होगा और इस प्रकार अभिगृहीत वस्तु, संक्षारक पदार्थ विस्फोटक या मिसाइल सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

(3) सक्षम प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र में, किसी जनसमूह या जुलूस को जब कभी और ऐसी अवधि के लिए जिसके लिए वह ऐसा प्रतिषेध लोक शांति के परिरक्षण के लिए आवश्यक समझे, प्रतिषिद्ध भी कर सकेगा :

परंतु यह कि सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा आदेश किया गया ऐसा प्रतिषेध राज्य सरकार की मंजूरी के बिना पन्द्रह दिन से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा ।

(4) सक्षम प्राधिकारी, किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र में लोक सूचना द्वारा किसी गली या लोक स्थान को किसी लोक प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से आरक्षित कर सकेगा और व्यक्तियों का इस प्रकार आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने से, ऐसी शर्तों के अधीन के सिवाय, जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रतिषेध कर सकेगा ।

(5) जो कोई, इस धारा के अधीन किए गए विधिपूर्ण किसी आदेश की अवज्ञा करेगा या उसकी अवज्ञा का दुष्प्रेरण करेगा, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

10. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई सक्षम प्राधिकारी, किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के संबंध में—

(क) ऐसे क्षेत्र में और ऐसे क्षेत्र के पक्षेत्र में व्यक्तियों के प्रवेश और व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित या विनियमित करने के लिए आदेश कर सकेगा ;

(ख) ऐसे क्षेत्र में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की उपस्थिति को उक्त आदेश में निर्दिष्ट किसी विहित प्राधिकारी को संसूचित करने की अपेक्षा करने के लिए आदेश कर सकेगा ; और

(ग) उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु को कब्जे में या नियंत्रण में रखने से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को प्रतिषिद्ध करने का आदेश कर सकेगा ।

(2) जो कोई, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश का किसी न्यायसंगत

सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र में व्यक्तियों के आचरण के संबंध में आदेश करने की शक्ति ।

और पर्याप्त कारण के बिना उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

11. (1) किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र में या उसके पश्चिमे में संदेहास्पद स्थिति में घूमने वाला कोई व्यक्ति, किसी पुलिस अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे छोड़ने का आदेश देने के पश्चात् उसमें या उस पश्चिमे में संदेहास्पद स्थिति में नहीं घूमेगा ।

(2) जो कोई, न्यायसंगत और पर्याप्त कारण के बिना इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है, किसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

12. जो कोई, किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के भीतर उपस्थित होते हुए, किसी अनुज्ञप्ति या विधिमान्य प्राधिकार के बिना कोई आयुध, गोला-बारूद विस्फोटक या संक्षारक पदार्थ कब्जे में रखता है, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

13. कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर या यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण रखते हुए कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है या कोई कार्य करने का लोप किया है, जिसके करने या लोप से वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई अपराध होगा उस अन्य व्यक्ति को उक्त अपराध के लिए उसकी गिरफ्तारी, विचारण या दंड का निवारण, प्रतिरोध करने या अन्यथा दिघ्न पहुंचाने के आशय से सहायता पहुंचाता है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

14. जो कोई, जानबूझकर किसी ऐसे कार्य को, जो इस अधिनियम के अधीन एक अपराध है, अग्रसर करने या उसका समर्थन करने में कोई धन व्यय करता है उसका या प्रदाय करता है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

15. जो कोई, किसी व्यक्ति को धमकी देता है,—

(i) जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी विशेष न्यायालय के समक्ष या किसी विचारण में कोई साक्षी है या जिसके साक्षी होने की संभावना है ;

(ii) जिसके कब्जे या जानकारी में, कोई सारवान् दस्तावेज या अन्य सूचना है, जिसको यदि किसी अनन्वेषण अधिकारी या किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अन्वेषण में या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी विशेष न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ;

(iii) जिसके शरीर या संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति या संपत्ति को जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध है, क्षति होती है, उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या उस व्यक्ति को ऐसे अन्वेषण या विचारण में परिरुद्ध साक्षी होने से करने या वापस हटने के लिए या उस व्यक्ति को अन्वेषण अधिकारी या उपर्युक्त उल्लिखित न्यायालय के समक्ष ऐसी रामग्री, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत करने से निवारित करने के लिए बाध्य करता है.

ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

प्रतिषिद्ध स्थानों के निकट संदेहास्पद स्थिति में घूमने के लिए दंड ।

अनुज्ञप्ति के बिना आयुध आदि को कब्जे में रखने के लिए दंड ।

अपराधियों की सहायता करने के लिए दंड ।

कतिपय अपराधों को करने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए दंड ।

साक्षियों आदि को धमकी देने के लिए दंड ।

माल परिवहन यान के ड्राइवर, स्वामी या किसी भारसाधक व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों को न ले जाया जाना।

असदभावपूर्वक रीति से कार्य करने वाले लोक सेवकों के लिए दंड।

16. जो कोई, किसी माल परिवहन यान का स्वामी, ड्राइवर या अन्यथा भारसाधक होते हुए, किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र में, यान में, मोटरयान अधिनियम, 1988 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञात संख्या से अधिक संख्या में व्यक्तियों को ले जाता है या ले जाने देता है, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

17. (1) जो कोई, लोक सेवक या इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति होते हुए, —

(क) इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित विधिपूर्ण प्राधिकार का असदभावपूर्वक रीति में प्रयोग करता है, जिससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान या क्षति पहुंचती है या पहुंचने की संभावना है ; या

(ख) जानबूझकर इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोग का लोप करता है और उसके कारण किसी सांप्रदायिक हिंसा के होने, लोक शांति के भंग का निवारण करने में असफल रहता है या समुदाय में आवश्यक सेवाओं और पूर्तियों को बनाए रखने में विघ्न पहुंचाता है,

कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई पुलिस अधिकारी, जो जानबूझकर—

(i) सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों की सुरक्षा करने या उनको सुरक्षा उपलब्ध कराने से ;

(ii) इस अधिनियम के अधीन किसी अनुसूचित अपराध या किसी अपराध के होने के संबंध में संहिता की धारा 154 की उपधारा (1) के अधीन सूचना लेखबद्ध करने से ;

(iii) इस अधिनियम के अधीन किसी अनुसूचित अपराध या किसी अपराध का अन्वेषण या अभियोजन करने से,

इंकार करता है, तो वह, उसमें निहित विधिपूर्ण प्राधिकार का प्रयोग करने का जानबूझकर लोप करने का दोषी समझा जाएगा।

(2) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा :

परंतु वह कि इस धारा के अधीन मंजूरी देने के लिए प्रत्येक अनुरोध का राज्य सरकार द्वारा, अनुरोध की तारीख से तीस दिनों के भीतर निपटान किया जाएगा।

18. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई संहिता की धारा 144 के अधीन किसी आदेश का उल्लंघन करता है, यदि वह आदेश इस अधिनियम के अधीन सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र से संबंधित किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी पदार्थ के बारे में है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रों में संहिता की धारा 144 के अधीन आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड।

अध्याय 4

सांप्रदायिक हिंसा के लिए वर्धित दंड

19. (1) जो कोई, ऐसा कार्य, जिसका लोप करना या करना एक अपराध है, करता है, जो ऐसे पैमाने पर या ऐसी रीति से किसी अनुसूचित अपराध का गठन करता है जिससे राज्य के किसी भाग के भीतर आंतरिक उपद्रव पैदा होता है और जो राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष रचना, एकता, अखंडता या आंतरिक सुख्खा को भयाक्रांत करता है, उस कार्य को सांप्रदायिक हिंसा करना कहा गया है।

सांप्रदायिक हिंसा करने के लिए दंड।

1860 का 45

(2) भारतीय दंड संहिता या अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई ऐसा कार्य, जिसका लोप करना या करना एक अपराध है, करता है, जो सांप्रदायिक हिंसा का गठन करता है, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध की दशा में के सिवाय, यथास्थिति, भारतीय दंड संहिता या अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिनियम में उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से जिसकी अवधि कारावास की अधिकतम अवधि तक के दुगने तक हो सकती और अधिकतम जुर्माने के दुगने से दंडित किया जाएगा :

परंतु यह कि जो कोई लोक सेवक या इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन किए गए आदेशों के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति होते हुए, सांप्रदायिक हिंसा करता है, पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कारावास से, जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का दोषी है, ऐसी दोषासिद्धि की तारीख से छह वर्षों की अवधि के लिए सरकार के अधीन कोई पद या कार्यालय धारण करने के लिए निहर्षित होगा।

अध्याय 5

अन्वेषण

20. (1) संहिता या किसी विधि में किसी अन्य बात के होते हुए भी, प्रत्येक अनुसूचित अपराध, संहिता की धारा 2 के खंड (ग) के अर्थान्तर्गत एक संज्ञेय अपराध समझा जाएगा और उस खंड में यथापरिभाषित "संज्ञेय मामला" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

अनुसूचित अपराधों का संज्ञेय होना।

(2) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, पुलिस उप निरीक्षक से अन्यून की पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी या समतुल्य पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अन्वेषण करेगा।

(3) संहिता की धारा 167 कोई अनुसूचित अपराध अंतर्वलित करने वाले किसी मामले के संबंध में इन उपांतरण के अध्यधीन रहते हुए लागू होगी कि उसकी उपधारा (1) में "न्यायिक मजिस्ट्रेट" के प्रतिनिर्देश का "न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट" के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।

(4) संहिता की धारा 366 से 377 (दोनों शामिल हैं) और धारा 392 अनुसूचित अपराध से अंतर्वलित करने वाले किसी मामले के संबंध में इन उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए लागू होगी कि "सेशन न्यायालय" के प्रतिनिर्देश का, जहां कहीं वह आता है, क्रमशः "विशेष न्यायालय" के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।

21. (1) जब कभी किसी क्षेत्र की, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषणा कर दी गई है, तब राज्य सरकार संहिता की धारा 2 के खंडों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी चौकी

स्थानों की पुलिस थानों के रूप में घोषणा।

या स्थान को पुलिस थाने के रूप में घोषित करेगी और संहिता के अध्याय 12 के उपबंध यथासाध्य पुलिस को सूचना देने और उनका अन्वेषण करने की शक्ति के संबंध में लागू होंगे ।

(2) राज्य सरकार सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र में महिलाओं या बालकों के विरुद्ध किए गए किसी अनुसूचित अपराध को करने के संबंध में कोई जानकारी लेखबद्ध करने और किसी ऐसे अपराध का अन्वेषण करने के लिए यथासाध्य संख्या में महिला पुलिस अधिकारियों की व्यवस्था करेगी ।

पुनर्विलोकन
समिति का
गठन ।

22. (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, सांप्रदायिक रूप से विक्षुब्ध क्षेत्र में किए गए किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक मामले का, और जहां अन्वेषक अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट के रजिस्ट्रेशन की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर आरोप पत्र फाइल नहीं करता है तो वहां राज्य सरकार द्वारा महानिरीक्षक पुलिस के स्तर के किसी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली ऐसी समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा और ऐसी समिति उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अन्यून से भिन्न अधिकारी द्वारा नए अन्वेषण के लिए आदेश पारित कर सकेगी जहां समिति, पहले से किए गए अन्वेषण की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ऐसा अन्वेषण आवश्यक होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति ऐसे अपराधों के मामलों में भी पुनर्विलोकन करेगी जहां विचारण की समाप्ति दोष-मुक्ति में और अपील फाइल करने के लिए आदेशों को जारी करने में, जहां अपेक्षित हो, होती है ।

(3) समिति अपने निष्कर्षों और हर मामले या मामलों में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेगी ।

विशेष अन्वेषण
दलों का गठन ।

23. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी सांप्रदायिक रूप से विक्षुब्ध क्षेत्र में किए गए अपराधों का अन्वेषण उचित और निष्पक्ष रीति से समुचित रूप से नहीं किया गया था, वहां राज्य सरकार एक या अधिक विशेष अन्वेषण दलों का गठन कर सकेगी, जैसा वह ऐसे अपराधों के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे ।

अध्याय 6

विशेष न्यायालय

विशेष न्यायालयों
की स्थापना ।

24. (1) राज्य सरकार विक्षुब्ध क्षेत्र की कालावधि के दौरान किए गए अनुसूचित अपराधों के विचारण के प्रयोजन के लिए अधिसूचना जारी करके, एक या अधिक विशेष न्यायालयों की स्थापना करेगी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी राज्य में विद्यमान स्थिति की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार की यह राय है कि राज्य के बाहर अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना करना समीचीन है, जिससे कि सांप्रदायिक रूप से विक्षुब्ध क्षेत्र में किए गए ऐसे अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए, जिनका राज्य के भीतर विचारण—

(क) ऋजु या निष्पक्ष होने अथवा अधिकतम शीघ्रता से पूरा किए जाने की संभावना नहीं है ; या

(ख) शांति भंग किए बिना या अभियुक्त, साक्षियों, लोक अभियोजक और न्यायाधीश या इनमें से किसी की सुरक्षा को गंभीर जोखिम के बिना साध्य होने की संभावना नहीं है ; या

(ग) अन्यथा न्याय के हित में नहीं है;

वह केंद्रीय सरकार से ऐसे सांप्रदायिक रूप से विशुद्ध क्षेत्र के संबंध में, राज्य के बाहर कोई अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए अनुरोध कर सकेगी और तब केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी पर विचार करने और ऐसी जांच, यदि कोई हो, जिसे वह ठीक समझे, करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, ऐसे अतिरिक्त विशेष न्यायालय राज्य के बाहर ऐसे स्थान पर स्थापित कर सकेगी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

25. (1) किसी विशेष न्यायालय का अध्यक्ष ऐसा न्यायाधीश होगा जिसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए।

(2) राज्य सरकार, किसी विशेष न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, अपर न्यायाधीशों को भी नियुक्त कर सकेगी।

(3) कोई व्यक्ति, किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तभी अर्ह होगा जब वह ऐसी नियुक्ति से तुरंत पूर्व किसी राज्य में सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश रहा हो।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए यह उपबंध किया जाता है कि किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति को, उस सेवा में, जिसका वह है, लागू नियमों के अधीन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने से उसके ऐसे न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश बने रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(5) जहां किसी अपर न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशों को किसी विशेष न्यायालय में नियुक्त किया जाता है, वहां विशेष न्यायालय का न्यायाधीश समय-समय पर लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा विशेष न्यायालय के कामकाज का वितरण स्वयं अपने और अपर न्यायाधीश या न्यायाधीशों के बीच करने के लिए और अपनी या किसी अपर न्यायाधीश की अनुपस्थिति की दशा में अत्यावश्यक कामकाज के निपटारे के लिए भी उपबंध कर सकेगा।

26. कोई विशेष न्यायालय, यदि वह ऐसा करना समीचीन या वांछनीय समझता है तो उस राज्य में, जिसमें वह स्थापित किया जाता है, अपनी बैठक के सामान्य स्थान से भिन्न किसी स्थान में अपनी किसी कार्यवाही के लिए अधिविष्ट हो सकेगा :

परंतु यदि लोक अभियोजक विशेष न्यायालय को यह प्रमाणित कर देता है कि उसकी राय में अभियुक्त या किसी साक्षी के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है या न्याय के हित में अन्यथा समीचीन है कि संपूर्ण विचारण या उसका कोई भाग विशेष न्यायालय की बैठक के सामान्य स्थान से भिन्न किसी स्थान में किया जाना चाहिए तो विशेष न्यायालय अभियुक्त को सुनवाई करने के पश्चात् उस आशय का आदेश तभी कर सकेगा जब विशेष न्यायालय ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, कोई अन्य आदेश करना ठीक समझे।

27. (1) संहिता या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के किसी न्यायिक अंचल में, उस अवधि के दौरान जब ऐसा न्यायिक अंचल है या उसका कोई भाग है, किसी समय किया गया कोई अनुसूचित अपराध, राज्य में ऐसे न्यायिक अंचल के लिए स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा ही, चाहे ऐसी अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति के पश्चात्, विचारणीय होगा :

परंतु जहां ऐसी अवधि, जो धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट की जाती है जिसके दौरान कोई क्षेत्र उस धारा की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना द्वारा सांप्रदायिक रूप से विशुद्ध क्षेत्र घोषित किया जाता है, ऐसी तारीख से, जिसको ऐसी अधिसूचना जारी की जाती है, पूर्व की किसी तारीख से प्रारंभ होती है, वहां—

विशेष न्यायालयों का गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति।

बैठक का स्थान।

विशेष न्यायालय की अधिकारिता।

(क) इस उपधारा के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात ऐसे क्षेत्र में किए गए अनुसूचित अपराध को लागू नहीं होगी जिसमें अभियोजन के लिए संपूर्ण साक्ष्य ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से पूर्व ले लिया गया है ; और

(ख) ऐसे सभी अन्य मामले, जिनमें ऐसे क्षेत्र में किए गए अनुसूचित अपराध अंतर्लित हैं और जो ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है, इस धारा के अधीन अधिकारिता रखने वाले विशेष न्यायालय को अंतरित हो जाएंगे और वह विशेष न्यायालय, जिसे ऐसी कार्यवाहियां अंतरित हो जाती हैं, ऐसे मामलों में उस प्रक्रम से कार्यवाही करेगा जिस पर वे उस समय लंबित थीं ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि ऐसे किसी मामले के बारे में, जिसमें किसी राज्य में किसी न्यायिक अंचल में किया गया अनुसूचित अपराध अंतर्लित है, इस अधिनियम के उपबंधों और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अन्य सभी सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार की राय में यह समीचीन है कि ऐसे अपराध का विचारण ऐसे न्यायिक अंचल के संबंध में स्थापित अतिरिक्त विशेष न्यायालय द्वारा राज्य के बाहर किया जाना चाहिए तो राज्य सरकार इस आशय की घोषणा कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—जहां कोई अतिरिक्त विशेष न्यायालय दो या अधिक न्यायिक अंचलों के संबंध में स्थापित किया गया है वहां इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसा अतिरिक्त विशेष न्यायालय प्रत्येक ऐसे न्यायिक अंचल के संबंध में स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन की गई घोषणा किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी ।

(4) जहां कोई घोषणा किसी राज्य के न्यायिक अंचल में किए गए किसी अपराध के बारे में की जाती है वहां ऐसे अपराध के बारे में कोई अभियोजन, ऐसे न्यायिक अंचल के संबंध में राज्य के बाहर स्थापित अतिरिक्त विशेष न्यायालय में ही संस्थित किया जाएगा और यदि ऐसे अपराध के बारे में कोई अभियोजन ऐसी घोषणा के ठीक पूर्व किसी अन्य न्यायालय में लंबित है तो वह ऐसे अतिरिक्त विशेष न्यायालय को अंतरित हो जाएगा और ऐसा अतिरिक्त विशेष न्यायालय ऐसे मामले में उस प्रक्रम से कार्यवाही करेगा जिस पर वह उस समय लंबित था ।

28. (1) किसी अनुसूचित अपराध का विचारण करते समय, विशेष न्यायालय ऐसे अनुसूचित अपराध से भिन्न अपराध का, जिसका अभियुक्त पर उसी विचारण में संहिता के अधीन आरोप लगाया जाए, विचारण उस दशा में कर सकेगा जब अपराध अनुसूचित अपराध से संबद्ध है ।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी विचारण के दौरान यह पाया जाता है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है तो विशेष न्यायालय ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध का, चाहे वह अपराध कोई अनुसूचित अपराध है या नहीं, सिद्धोपेक्ष ठहरा सकेगा, और उसके दंड के लिए प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित कर सकेगा ।

29. (1) राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए लोक अभियोजक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी और एक या अधिक व्यक्तियों को अपर लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजकों के रूप में नियुक्त कर सकेगी :

परंतु सरकार किसी मामले या मामलों के वर्ग के लिए विशेष लोक अभियोजक को भी नियुक्त कर सकेगी ।

अन्य अपराधों के बारे में विशेष न्यायालय की शक्ति ।

(2) कोई व्यक्ति, इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जब उसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो या वह कम से कम सात वर्ष की अवधि तक रंग या किसी राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण कर चुका हो जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है।

(3) इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति संहिता की धारा 2 के खंड (प) के अर्थ में लोक अभियोजक समझा जाएगा और संहिता के उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे।

30. (1) विशेष न्यायालय, अभियुक्त को विचारण के लिए अपने समक्ष सुपुर्द किए बिना उन तथ्यों के, जिनसे ऐसा अपराध बनता है, परिवाद की प्राप्ति पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर किसी अनुसूचित अपराध का संज्ञान कर सकेगा।

लोक
अभियोजक।

(2) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी विशेष न्यायालय का गठन सार्वजनिक अवकाश दिन अपवर्जित करके, दिन-प्रतिदिन के आधार पर अपनी कार्यवाहियों का संचालन करेगा।

(3) जहां कोई अनुसूचित अपराध अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के कारावास से, या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय है, वहां संहिता की धारा 260 की उपधारा (1) या धारा 262 किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय उस अपराध का विचारण संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त कर सकेगा और संहिता की धारा 263 से धारा 265 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे विचारण को लागू होंगे :

परंतु जब इस उपधारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के अनुक्रम में विशेष न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि मामले का स्वरूप ऐसा है कि उसका संक्षिप्त रूप में विचारण करना अवांछनीय है तब विशेष न्यायालय किन्हीं साक्षियों को, जिनकी परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुलवाएगा और ऐसे अपराध के विचारण के लिए संहिता के उपबंधों द्वारा उपबंधित रीति से मामले की पुनः सुनवाई करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ होगा और उक्त उपबंध किसी विशेष न्यायालय को और उसके संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी मजिस्ट्रेट को और उसके संबंध में लागू होते हैं :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि की दशा में विशेष न्यायालय के लिए दो वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा।

(4) विशेष न्यायालय, किसी अपराध से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा दान कर सकेगा कि वह उस अपराध के और उसके किए जाने में मुख्य कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में संबद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में अपनी जानकारी में सभी परिस्थितियों को पूर्ण और सही रूप से प्रकट करेगा और इस प्रकार किए गए क्षमा दान के बारे में संहिता की धारा 308 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह उसकी धारा 307 के अधीन किया गया है।

(5) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विशेष न्यायालय को किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और वह ऐसे अपराधों का विचारण सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जहां तक हो सके, इस प्रकार करेगा मानो वह सेशन न्यायालय हो।

(6) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अतिरिक्त विशेष न्यायालय के समक्ष प्रत्येक मामले के संबंध में उसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी मानो वह मामला ऐसे अतिरिक्त विशेष न्यायालय को संहिता की धारा 406 के अधीन अंतरित किया गया हो ।

मामले को
अंतरित करने
की उच्चतम
न्यायालय का
शक्ति ।
साक्षियों का
संरक्षण ।

31. जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है तो वह यह निर्देश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए ।

32. (1) विशेष न्यायालय, अपने समक्ष किसी कार्यवाही में किसी साक्षी द्वारा या ऐसे साक्षी के संबंध में लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से साक्षी की पहचान और उसका पता गोपनीय रखने के लिए ऐसे उपाय कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन उपायों के, जो विशेष न्यायालय उस उपधारा के अधीन कर सकेगा, अंतर्गत निम्नलिखित उपाय हैं :--

(क) किसी संरक्षित स्थान में कार्यवाहियां करना ;

(ख) अपने आदेशों या निर्णयों में अथवा मामले के ऐसे किसी अभिलेख में, जो जनता के लिए पहुंचगम्य हैं, साक्षियों के नाम और पते का उल्लेख न करना ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि साक्षियों की पहचान और उनके पते प्रकट न हो जाएं, कोई निर्देश जारी करना ।

(3) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए किसी निर्देश का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

नियमित
न्यायालयों को
मामले अंतरित
करने की
शक्ति ।

33. जहां किसी अपराध का संज्ञान करने के पश्चात् विशेष न्यायालय की यह राय है कि अपराध अनुसूचित अपराध नहीं है वहां वह, इस बात के होते हुए भी कि उसे ऐसे अपराध का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है, ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए मामले को किसी ऐसे न्यायालय को अंतरित करेगा जिसे संहिता के अधीन अधिकारिता है और वह न्यायालय, जिसको ऐसा मामला अंतरित किया गया है, अपराध के विचारण के लिए इस प्रकार कार्यवाही प्रारंभ होगा मानो उसने अपराध का संज्ञान किया हो ।

ऐसे व्यक्ति का
हटाया जाना,
जिसके
अनुसूचित
अपराध किए
जाने की
संभावना हो ।

34. (1) जहां किसी विशेष न्यायालय का स्वप्रेरणा से या किसी शिकायत पर या पुलिस रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति संभवतः किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में कोई अनुसूचित अपराध कर सकता है तो वह लिखित में आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को उस क्षेत्र की सीमा से परे, ऐसे मार्ग द्वारा और ऐसे समय के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, स्वयं को हटाने का और उस क्षेत्र में, जिससे स्वयं को हटाने का उसे निर्देश दिया गया था, छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, वापस न लौटने का निर्देश दे सकेगा ।

(2) विशेष न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन आदेश के साथ उस उपधारा के अधीन निर्देशित व्यक्ति को उन आधारों को संसूचित करेगा जिनके आधार पर ऐसा आदेश किया गया है ।

(3) विशेष न्यायालय उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश को, उस व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर किए गए अभ्यावेदन पर, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, प्रतिसंहत कर सकेगा या उपांतरित कर सकेगा ।

35. (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे किसी क्षेत्र से स्वयं को हटाने के लिए धारा 34 के अधीन कोई निदेश जारी किया गया है,—

(क) निदेशानुसार स्वयं को हटाने में असफल रहता है ; या

(ख) स्वयं को इस प्रकार हटाने पर उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय की लिखित में अनुमति के बिना आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और पुलिस अभिरक्षा में उस क्षेत्र से बाहर ऐसे किसी स्थान पर, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, हटावा सकेगा ।

(2) विशेष न्यायालय, लिखित आदेश द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध धारा 34 के अधीन कोई आदेश किया गया है, उस क्षेत्र में, जिससे उसे स्वयं को हटाने का निदेश दिया गया था, ऐसी अस्थायी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, वापस आने की अनुमति दे सकेगा और उससे अधिरोपित शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए प्रतिभूति सहित या उसके बिना एक बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) विशेष न्यायालय किसी भी समय किसी ऐसी अनुमति को प्रतिसंहत कर सकेगा ।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी अनुमति से उस क्षेत्र में, जिससे उसे स्वयं को हटाने का निदेश दिया गया था, वापस आता है, अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करेगा और उस अस्थायी अवधि की समाप्ति पर, जिसके लिए उसे वापस आने की अनुमति दी गई थी या ऐसी अस्थायी अवधि की समाप्ति से पूर्व ऐसी अनुमति के प्रतिसंहरण पर स्वयं को उस क्षेत्र से बाहर हटा लेगा और नई अनुमति के बिना धारा 34 के अधीन विनिर्दिष्ट उसके अविकल भाग के भीतर वापस नहीं लौटेगा ।

(5) यदि कोई व्यक्ति अधिरोपित शर्तों में से किसी शर्त का अनुपालन करने या तदनुसार स्वयं को हटाने में असफल रहता है या स्वयं को इस प्रकार हटाने पर उस क्षेत्र में नई अनुमति के बिना प्रवेश करता है या वापस लौटता है तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और पुलिस अभिरक्षा में उस क्षेत्र से बाहर ऐसे किसी स्थान पर, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, हटावा सकेगा ।

36. (1) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश से, जो अंतरवर्ती आदेश नहीं है, अधिकार विषय के रूप में तथ्य और विधि, दोनों पर उच्च न्यायालय को अपील होगी ।

(2) पूर्वोक्त के सिवाए, किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश से किसी न्यायालय में अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस निर्णय, दंडादेश या आदेश की, जिससे अपील की गई है, तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी :

परंतु उच्च न्यायालय तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी अपील को तब ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था ।

37. जहां कोई क्षेत्र सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र नहीं रहता है और ऐसे सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र के संबंध में स्थापित किए गए किसी विशेष न्यायालय या किसी अतिरिक्त विशेष न्यायालय के समक्ष मामले लंबित नहीं हैं तो, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसे विशेष न्यायालय या अतिरिक्त विशेष न्यायालय को समाप्त कर सकेगी ।

11
किसी व्यक्ति के स्वयं को क्षेत्र से हटाने में असफल रहने और हटाए जाने के पश्चात् उसमें प्रवेश करने पर प्रक्रिया ।

अपील ।

कतिपय विशेष न्यायालयों की समाप्ति ।

अध्याय 7

राहत और पुनर्वास के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं

राज्य सांप्रदायिक
उपद्रव राहत
और पुनर्वास
परिषद् ।

राज्य परिषद् का
गठन ।

38. प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सांप्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् की स्थापना करेगी ।

39. राज्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) राज्य का मुख्य सचिव - अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) राज्य का पुलिस महानिदेशक - सदस्य, पदेन ;

(ग) राज्य सरकार में राहत और पुनर्वास कार्य से न्यस्त विभाग का सचिव - सदस्य, पदेन ;

(घ) राज्य सरकार में वित्त विभाग का सचिव - सदस्य, पदेन ;

(ङ) राज्य सरकार में गृह विभाग का सचिव - सदस्य, पदेन ;

(च) राज्य सरकार में जनजाति कल्याण या अल्पसंख्यक कल्याण या महिला और बाल विकास से संबंधित समाज कल्याण विभाग का सचिव - सदस्य, पदेन ;

(छ) सांप्रदायिक सामंजस्य के संवर्द्धन या सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने से संबंधित कार्य में लगे व्यष्टियों या निजी स्वैच्छिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति - सदस्य ;

(ज) पांच से अन्धुन व्यक्ति, जो ऐसी रीति में नामनिर्दिष्ट किए जाने हैं कि राज्य में सभी महत्वपूर्ण धार्मिक समूहों का परिषद् में प्रतिनिधित्व किया जा सके - सदस्य ;

(झ) राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से अन्धुन स्तर का एक अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य, पदेन ;

(ञ) खंड (छ) और खंड (झ) के अधीन नियुक्त सदस्यों की अवधि वह होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

परिषद् के
कृत्य ।

40. (1) राज्य परिषद् का राहत, जिसके अंतर्गत तत्काल राहत और पुनर्वास संबंधित उपायों तथा समन्वय भी है, की योजना बनाने और ऐसे उपायों के क्रियान्वयन को मानीटर करने तथा अपेक्षा के अनुसार उनके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त निदेश जारी करने का उत्तरदायित्व होगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य परिषद्,-

(क) सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों की राहत और पुनर्वास से संबंधित विषयों में राज्य सरकार को सलाह देगी, जिसके अंतर्गत तत्काल या अंतरिम प्रतिकर प्रदान करना भी है, जो निम्नलिखित से संबंधित सांप्रदायिक हिंसा में किसी व्यष्टि द्वारा उठाई गई हिंसा के संबंध में प्रतिकर की पूर्ण दरों के बीस प्रतिशत से कम नहीं होगा, जिसमें प्रतिकर के निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना भी है,-

(i) गृहों और माल असबाब की हानि या उसकी नुकसानी ;

(ii) जीवन की हानि और उठाई गई क्षति ;

(iii) कारबार का विनाश या नुकसान और जीविका के साधनों की हानि ;

(iv) लैंगिक हमले या महिलाओं के प्रति दुर्यवहार ;

(ख) सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत शिविरों की स्थापना करने के लिए उपर्युक्त मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना, जो निम्नलिखित के लिए उपबंध करेंगे :-

(i) ऐसे शिविरों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्थाएं ;

(ii) शीत, वर्षा या ग्रीष्म ऋतुओं के लिए समुचित आश्रय ;

(iii) भोजन, पेयजल, प्रसाधन और स्नानादि सुविधाएं ;

(iv) स्वास्थ्य सेवाएं, शिविर में ही क्षतियों का प्रमाणन और निःशुल्क औषधि के क्रय के लिए छह मास की विधिमान्यता वाला चिकित्सीय कार्ड जारी करना, मानसिक आघात संबंधी परामर्श जैसी मनो-सामाजिक सहायता ;

(v) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य अस्थायी राशन कार्डों को जारी करना ;

(ग) सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों को तीव्र राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने के संबंध में सभी प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली स्थापित करना, जिसके अंतर्गत राशन कार्ड या अन्य पहचानपत्र उपलब्ध कराना भी है ;

(घ) सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के संबंध में शैक्षिक या अन्य प्रमाणपत्र या स्वामित्व या अन्य दस्तावेजों की हानि या नुकसान को प्रमाणित करना और सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों को किसी परीक्षा के लिए उपस्थित होने को सुकर बनाना तथा इस प्रयोजन के लिए सुरक्षा प्रदान करना ;

(ङ) सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के बालकों का पुनर्वास करने के लिए केंद्रों की स्थापना करना ;

(च) बीमा संबंधी दावों के शीघ्र निपटारे और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से आसान ऋण उपलब्ध कराने या सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के मामलों में ऋणों और ब्याज के ह्रासों की पुनः व्यवस्था संबंधी उपाय उपलब्ध कराने के लिए वित्त संस्थाओं के परामर्श से एकल खिड़की समाशोधन स्कीम स्थापित करना ;

(छ) अन्य संगठनों के, जो पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए आगे आए, प्रयासों को सभी संभाव्य रीति में सुकर बनाना ;

(ज) सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों की दशा को सुधारने की दृष्टि से समुचित सरकार द्वारा अपनाए और कार्यान्वित किए जाने वाले उपायों की सिफारिश करना ;

(झ) सांप्रदायिक हिंसा के दौरान नुकसानग्रस्त या नष्ट किए गए पूजास्थलों के प्रभावित संप्रदाय के सदस्यों के परामर्श और आम सहमति से पुनरुद्धार और मरम्मत संबंधी वित्त पोषण के लिए उपर्युक्त मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना और निदेश जारी करना ;

(ञ) सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक और सकारात्मक स्कीम विरचित करना और समुचित सरकार के अनुमोदन से ऐसी स्कीम

के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम तैयार करना तथा स्कीम को क्रियान्वित करना ;

(ट) जिला सांप्रदायिक सामंजस्य समिति के कार्यों को क्रियाशील बनाना ;

(ठ) सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित व्यापक डाटा बैंक बनाए रखना ;

(ड) स्थिति से निपटने में और उपचारात्मक उपायों के संबंध में भी आने वाली अपर्याप्तताओं या कमी के बारे में समुचित सरकार को रिपोर्ट करना ;

(ढ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो उसके आनुषंगिक या प्रासंगिक हो, जो समय-समय पर समुचित सरकार द्वारा सौंपे जाएं ।

(3) इस धारा के अधीन कृत्यों का पालन करते समय राज्य परिषद् ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जो विहित की जाए ।

सांप्रदायिक
सामंजस्य के
संवर्द्धन और
सांप्रदायिक हिंसा
के निवारण के
लिए राज्य
योजना ।

41. (1) राज्य परिषद् प्रत्येक राज्य के लिए सांप्रदायिक सामंजस्य के संवर्द्धन और सांप्रदायिक हिंसा के निवारण के लिए राज्य सांप्रदायिक सामंजस्य योजना के नाम से एक योजना तैयार करेगी, जिसे इसमें इसके पश्चात् राज्य योजना कहा जाएगा और उसे राज्य सरकार को अंगीकार किए जाने के लिए सिफारिश करेगी ।

(2) राज्य योजना निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात् :-

(i) सांप्रदायिक हिंसा के निवारण या प्रशमन के लिए अपनाए जाने वाले उपाय, जिसके अंतर्गत जिला स्तर शांति समितियों का गठन भी है, ;

(ii) जिला और उप जिला स्तर पर बलवा निवारण स्कीम सहित सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में किए जाने वाले उपायों का क्षमता निर्माण और तैयारी ।

(3) राज्य सरकार ऐसे उपांतरणों के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, राज्य योजना को अंगीकृत करेगी ।

(4) राज्य सरकार राज्य योजना और धारा 40 के अधीन जारी की गई किसी सलाह, सिफारिश या मार्गदर्शक सिद्धांतों को भी विधान सभा के पटल पर रखवाएगी :

परंतु जहां राज्य सरकार धारा 40 या इस धारा के अधीन राज्य परिषद् की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है, वहां वह सिफारिश को स्वीकार न करने के कारणों का अभिव्यक्त रूप से कथन करेगी और उसे की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगी तथा उसे यथाशीघ्र विधान सभा के, जब वह सत्र में हो, और जब विधान सभा सत्र में नहीं है, वहां उसके सत्र के प्रारंभ की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पटल पर रखवाएगी ।

(5) राज्य योजना का प्रत्येक दो वर्ष में पुनर्विलोकन और उसे अद्यतन किया जाएगा ।

(6) राज्य सरकार राज्य योजना के अधीन किए जाने वाले क्रियाकलापों के वित्त पोषण के लिए समुचित उपबंध करेगी ।

जिला परिषद् का
गठन ।

42. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, राज्य के प्रत्येक जिले के संबंध में एक जिला सांप्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास परिषद् की स्थापना करेगी ।

(2) जिला परिषद् 10 से अनधिक उतने सदस्यों से मिलकर बनेगी, जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) जिले का, यथास्थिति, कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त, जो अध्यक्ष, पदेन होगा ;

(ख) जिले का पुलिस अधीक्षक — सदस्य, पदेन ;

(ग) जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी — सदस्य, पदेन ;

(घ) समाज कल्याण, जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, महिला और बाल विकास विभाग या ऐसे अन्य विभागों के, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, ऐसे अन्य जिला स्तर के अधिकारी — सदस्य, पदेन ;

(ङ) निजी स्वैच्छिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं — सदस्य ;

(च) पांच से अन्यून व्यक्ति, जो ऐसी रीति में नामनिर्दिष्ट किए जाने हैं कि जिले में सभी महत्वपूर्ण धार्मिक समूहों का जिला परिषद् में प्रतिनिधित्व किया जा सके — सदस्य ;

(छ) खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन नियुक्त सदस्यों की अवधि वह होगी जो विहित की जाए ।

43. जिला परिषद् जब कभी आवश्यक हो और ऐसे समय तथा स्थान पर बैठकें करेगी, जो अध्यक्ष ठीक समझे ।

जिला परिषद् की बैठकें ।

44. (1) जिला परिषद् सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास के लिए जिला स्तर पर समन्वय और पुनर्वास निकाय के रूप में कार्य करेगी और राष्ट्रीय परिषद् और राज्य परिषद् द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उस प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

जिला परिषद् के कृत्य ।

(क) सांप्रदायिक हिंसा में निम्नलिखित के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा उठाई गई हानि के संबंध में प्रतिकर का निर्धारण,—

(i) जीवन की हानि और उठाई गई क्षति ;

(ii) गृहों, दुकानों और ऐसी अन्य संरचनाओं तथा माल असबाबों की हानि या नुकसानी ;

(iii) कारबार का विनाश या नुकसान और जीविका के साधनों की हानि ;

(iv) लैंगिक हमल या महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार ;

(ख) सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत शिविरों की स्थापना, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है :—

(i) ऐसे शिविरों में सुस्का प्रदान करने के लिए व्यवस्थाएं ;

(ii) शीत, वर्षा या ग्रीष्म ऋतुओं के लिए समुचित आश्रय ;

(iii) भोजन, पेयजल, प्रसाधन और स्नानादि सुविधाएं ;

(iv) स्वास्थ्य सेवाएं, शिविर में ही क्षतियों का प्रमाणन और निःशुल्क औषधि के क्रय के लिए छह मास की विधिमान्यता वाला चिकित्सीय कार्ड जारी करना, मानसिक आघात संबंधी परामर्श जैसी मनो-सामाजिक सहायता ;

(v) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य अस्थायी राशन कार्डों को जारी करना ;

(2) जिला परिषद् सांप्रदायिक सामंजस्य के संवर्द्धन और सांप्रदायिक हिंसा के निवारण के लिए एक जिला योजना तैयार करेगी और राज्य परिषद् को उसकी सिफारिश करेगी ।

(3) जिला परिषद् इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर दिए जाने के लिए किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करेगी और राज्य परिषद् को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

अध्याय 8

राष्ट्रीय परिषद्

राष्ट्रीय
सांप्रदायिक
उपद्रव अनुतोष
और पुनर्वास
परिषद् ।

45. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय सांप्रदायिक उपद्रव अनुतोष और पुनर्वास परिषद् नाम से ज्ञात एक परिषद् का गठन करेगी, जिसमें ग्यारह सदस्यों से अधिक नहीं होंगे और जो इस अधिनियम द्वारा और उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करेगी ।

(2) राष्ट्रीय परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

(i) सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय - सदस्य, पदेन ;

(ii) सचिव, भारत सरकार, खाा मंत्रालय - सदस्य, पदेन ;

(iii) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय - सदस्य, पदेन ;

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट समाज के अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों का प्रतिनिधि करने वाले चार - सदस्य, पदेन ;

(v) केन्द्रीय सरकार द्वारा समाज के अन्य ऐसे वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जो सांप्रदायिक सामंजस्य बनाए रखने में प्रयासरत हैं, नामनिर्दिष्ट चार व्यक्ति - सदस्य, पदेन ;

(3) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय परिषद् के एक सदस्य को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी ।

राष्ट्रीय परिषद्
के सदस्यों की
पदावधि और
शक्तें ।

46. (1) राष्ट्रीय परिषद् का प्रत्येक सदस्य (पदेन सदस्यों से भिन्न) अपनी नियुक्ति की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(2) राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) संदेय यात्रा और अन्य भत्ते ऐसे होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

राष्ट्रीय परिषद्
की शक्तियां
और कृत्य ।

47. (1) राष्ट्रीय परिषद् समुचित सरकार को सिफारिश करेगी कि वह—

(क) सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों की कैसे सहायता की जानी चाहिए और उन्हें किस प्रकार का अनुतोष दिया जा सकता है ;

(ख) सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को किस प्रकार पुनर्वासित किया जाएगा ;

(ग) सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को दिए जाने वाले प्रतिकर का प्रकार ;

(2) राष्ट्रीय परिषद् सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता के बारे में राज्य सरकार से सिफारिश करेगी ।

(3) राष्ट्रीय परिषद् ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगी जो सांप्रदायिक हिंसा के नियंत्रण और विरोध के लिए सहायक हों और सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को अनुतोष और पुनर्वास तथा प्रतिकर प्रदान करने में सहायक हों ।

(4) ऐसी हिंसा के होने की सूचना के प्राप्त होते ही सांप्रदायिक हिंसा द्वारा प्रभावित

क्षेत्र का दौरा करने और अपनी सिफारिशों सहित ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान अवस्थिति की एक रिपोर्ट को केन्द्रीय सरकार को भेजने का राष्ट्रीय परिषद् का कर्तव्य होगा ।

48. राष्ट्रीय परिषद्, समय-समय पर, सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति से निपटने के लिए अपेक्षित कदम उठाने के अधिकारों की सिफारिश करते हुए केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

राष्ट्रीय परिषद् की रिपोर्ट ।

अध्याय 9

राहत और पुनर्वास के लिए निधियां

49. (1) प्रत्येक राज्य में राज्य सांप्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास निधि नामक एक निधि की स्थापना की जाएगी और उसमें --

राज्य निधि ।

(क) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सभी रकमों ;

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सभी रकमों ;

(ग) इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्थानीय प्राधिकारी या किसी व्यक्ति अथवा किसी प्राइवेट स्वैच्छिक संगठन से दान अथवा संदान के रूप में प्राप्त सभी रकमों ;

(घ) सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास या कल्याण हेतु, जहां अपेक्षित हो, ऐसी सहायता को शासित करने वाले विद्यमान विनियमों के निबंधनों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संगठनों या भारत में संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त रकमों,

जमा की जाएगी ।

(2) निधि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जाएगी, अर्थात् :-

(क) धारा 40 और धारा 40 के अधीन यथा उपबंधित राहत और पुनर्वास हेतु अनुदानों के प्रयोजनों के लिए ;

(ख) धारा 40 के अधीन राज्य परिषद् की अन्य शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करने या पालन करने हेतु व्ययों को पूरा करने के लिए ; और

(ग) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं ।

(3) राज्य परिषद् सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के संबंध में न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय परिषद् को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

50. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, यथास्थिति, पीड़ितों को या जीवन की हानि होने की दशा में उनके आश्रितों को या उन्हें, जिनकी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के परिणामस्वरूप संपत्ति की हानि अथवा नुकसानी हुई है या जीविका के साधनों की हानि हुई है, तुरंत प्रतिकर प्रदान करने के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध करवाने हेतु अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बनाएगी ।

राहत प्रदान करने के लिए स्कीम ।

(2) स्कीम जिला परिषद् द्वारा प्रशासित की जाएगी ।

51. प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिले में पीड़ित सहायता निधि नामक एक निधि की स्थापना करेगा और वह जिला परिषद् अधिकाशाधीन होगी और उसमें--

जिला निधि ।

(क) राज्य सरकार से प्राप्त सभी रकमों ;

(ख) इस अधिनियम के किन्हीं या सभी प्रयोजनों के लिए किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर उपक्रमों या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी व्यक्ति या किसी प्राइवेट स्वैच्छिक संगठन से प्राप्त दान या संदान के रूप में प्राप्त सभी रकमों,

जमा की जाएगी ।

जिला परिषद् का
राज्य परिषद् के
अधीन कार्य
करना ।

52. किसी राज्य की जिला परिषदें उस राज्य की राज्य परिषद् के संपूर्ण अधीक्षण और निदेशों के अधीन कार्य करेगी ।

अध्याय 10

पीड़ितों को प्रतिकर

पीड़ितों को
प्रतिकर ।

53. (1) जब कभी कोई विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराता है तो वह अपने इस दंडादेश द्वारा यह आदेश भी पारित कर सकेगा कि अपराधी अपराध से हुई किसी हानि या नुकसानी के लिए उपधारा (5) में उल्लिखित व्यक्ति को ऐसा आर्थिक प्रतिकर देगा जो इसमें विहित किया जाए :

परंतु ऐसा प्रतिकर किसी ऐसे व्यक्ति को अधिनिर्णीत नहीं किया जाएगा जो अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट भारतीय दंड संहिता के अधीन किए गए किसी अपराध में अंतर्वलित है ।

(2) प्रतिकर की रकम ऐसी होगी जो विशेष न्यायालय द्वारा अवधारित की जाए और उपधारा (4) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए साम्यपूर्ण होगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किसी अन्य ऐसे दंड के अतिरिक्त किया जाएगा जिससे सिद्धदोष व्यक्ति को दंडादिष्ट किया गया है या जहां अपराध केवल जुर्माने से या ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से अधिक की नहीं है, दंडनीय है, वहां ऐसा आदेश किसी अन्य दंड के बदले में होगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व विशेष न्यायालय अपराध की प्रकृति, उसका हेतुक, अपराधी और ऐसे व्यक्ति की, जिसके पक्ष में ऐसा आदेश किया गया है, आर्थिक स्थिति और अन्य सभी कारकों पर विचार करेगी ।

(5) उपधारा (1) के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर के बारे में यह निदेश दिया जा सकता है कि उसका—

(i) किसी व्यक्ति को, जिसने अभियोजन में या उचित रूप से उपगत किन्हीं अन्य व्ययों को चुकाने में व्यय उपगत किए हैं ;

(ii) किसी व्यक्ति को अपराध से कारित किसी हानि, नुकसान या क्षति के लिए जब उसके लिए प्रतिकर विशेष न्यायालय की राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी सिविल न्यायालय में वसूलीय है ;

(iii) दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या ऐसे किसी अपराध का किया जाना उत्प्रेरित करने के लिए किसी अपराध की किसी दोषसिद्धि की दशा में किसी व्यक्ति को, जो घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के अधीन, दंडादिष्ट व्यक्ति से ऐसी मृत्यु से उनको होने वाली हानि के लिए नुकसानी वसूल करने के लिए हकदार है ;

(iv) किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास भंग या रिश्वत, लूट, डकैती, उद्यमन या चुराई गई संपत्ति बेईमानीपूर्वक प्राप्त करना या प्रतिधारित करना अथवा उसका व्ययन करने में स्वैच्छया सहायता करना या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसी संपत्ति चुराई हुई है, सम्मिलित है, दोषसिद्धि की दशा में, ऐसी संपत्ति के किसी संभाविक क्रेता को, उसकी हानि के लिए, यदि ऐसी संपत्ति के हकदार व्यक्ति के कब्जे में प्रत्यावर्तित कर दी जाती है,

संदाय किया जाए ।

(6) न्यायालय एक ही विषय से संबंधित किसी पश्चात्वर्ती सिविल वाद में प्रतिकर अधिनिर्णीत करते समय इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में संदत्त या वसूल की गई कोई राशि को ध्यान में रखेगा ।

54. (1) जिला परिषद् साम्प्रदायिक हिंसा द्वारा प्रभावित व्यक्तियों द्वारा या उनकी ओर से किए दावों को ग्रहण करेगी और जिला परिषद् दावा करने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर सम्यक् जांच करने के पश्चात्, यथास्थिति, पीड़ित या उसके आश्रितों को अधिनिर्णीत किए जाने वाले तुरंत प्रतिकर की मात्रा विनिश्चित करेगी ।

तुरंत प्रतिकर ।

(2) प्रतिकर की रकम, मामलों के प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन यथाविहित प्रतिकर की संपूर्ण दर के बीस प्रतिशत से कम नहीं होगी ।

(3) पीड़ित को प्रतिकर का संवितरण, ऐसी सहायता किसी रकम को, जो उसने राहत या प्रतिकर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की किसी अन्य स्कीम के अधीन प्राप्त की हो, समायोजित करने के पश्चात् किया जाएगा ।

(4) यदि कोई पीड़ित इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के किए जाने में सम्मिलित है तो उन पीड़ितों को या उनके विधिक प्रतिनिधियों को जिला निधि से सहायता नहीं दी जा सकेगी ।

अध्याय 11

केन्द्रीय सरकार की कतिपय मामलों में सांप्रदायिक हिंसा से निपटने की विशेष शक्तियां

55. (1) जब कभी केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा एक या अधिक अनुसूचित अपराध ऐसी रीति में और ऐसे पैमाने पर किए जा रहे हैं जिसमें किसी समूह, जाति या समुदाय के सदस्यों विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा अंतर्वलित है, जिसका परिणाम मृत्यु या संपत्ति का विनाश होता है और आपराधिक बल या हिंसा का ऐसा प्रयोग विभिन्न समूहों, जातियों या समुदायों के बीच असामंजस्य या शत्रुता, विद्वेष या वैमनस्य की भावनाएं भड़काने की दृष्टि से किया जाता है और इससे भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे, एकता, अखंडता या आंतरिक सुरक्षा को आसन्न खतरा है, जो यह अपेक्षा करता है कि संबद्ध राज्य सरकार द्वारा तत्काल कदम उठाए जाए, तो वह—

केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकारों को निदेश देने तथा अधिसूचनाएं जारी करने आदि की शक्ति ।

(क) राज्य सरकार का उस क्षेत्र में विद्यमान स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करेगी ; और

(ख) राज्य सरकार की ऐसी हिंसा का या आपराधिक बल के प्रयोग का दमन करने के लिए ऐसे समय के भीतर, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, तत्काल सभी उपाय करने का निदेश देगी ।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन किसी निदेश के जारी किए जाने पर सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और उस पर नियंत्रण करने के लिए समुचित कार्रवाई करेगी ।

(3) जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगी, जो आवश्यक हो, जिसके अंतर्गत है—

(क) किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी करना ;

(ख) राज्य सरकार से सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और उस पर नियंत्रण लगाने संबंधी अनुरोध प्राप्त होने पर ऐसा करने के लिए सशस्त्र बलों को अभिनियोजित करना ।

(4) जहां यह विनिश्चय किया जाता है कि उपधारा (3) के अधीन सशस्त्र बलों का अभिनियोजन किया जाए वहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार संघ और राज्यों के बलों की भूमिका और उत्तरदायित्वों को समन्वित और मानीटर करने के प्रयोजन के लिए और ऐसे बलों को समुचित निदेश देने के लिए एकीकृत कमान के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण का गठन कर सकेगी ।

(5) उपधारा (3) के अधीन अभिनियोजित बल जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा एकीकृत कमान द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी के नियंत्रणाधीन और उसके निदेशों के अनुसार कार्य करेंगे ।

(6) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

केन्द्रीय सरकार की धारा 55 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं का विस्तारण करने या उपांतरण करने की शक्ति ।

56. (1) धारा 55 के अधीन अधिसूचना में वह अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी जिस अवधि तक क्षेत्र इस प्रकार अधिसूचित क्षेत्र बना रहेगा :

परंतु यह कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि प्रथम बार तीस दिन से अधिक की नहीं होगी :

परंतु यह और कि यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि वह क्षेत्र सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र बना हुआ है तो वह उक्त अवधि को अधिसूचना द्वारा बढ़ा सकेगी :

परंतु यह भी कि किसी क्षेत्र के सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किए जाने की कुल अवधि साठ दिन की सतत अवधि से अधिक नहीं होगी ।

(2) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया हो कि लोक शान्ति और प्रशान्ति में ऐसा विघ्न, जैसा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है, उस क्षेत्र में अब विद्यमान नहीं है तो वह उस क्षेत्र के संबंध में जारी की गई अधिसूचना का, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि को सीमित करने के लिए (चाहे मूल रूप से या उपधारा (1) के अधीन संशोधन द्वारा) संशोधन करेगी ।

अध्याय 12

अधिकारियों की शक्तियां, कर्तव्य और उन्मुक्तियां

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

57. (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या ऐसी सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति या राज्य परिषद्, राष्ट्रीय परिषद् या जिला परिषद् के किसी सदस्य के विरुद्ध नहीं होगी ।

(2) यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को अपेक्षित विधिक सहायता उपलब्ध करवाए, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार कोई वाद या विधिक कार्यवाहियां चल रही हैं ।

(3) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार का कोई ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्य करते समय अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोई क्षति हुई है या उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसे प्रतिकर या अनुग्रहपूर्वक राहत की दर से दुगुनी दर पर विशेष प्रतिकर या अनुग्रहपूर्वक राहत दी जाएगी, जो, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित नियमों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के निबंधनों के अनुसार कर्तव्यारूढ अन्य सरकारी सेवकों के संबंध में अनुज्ञेय हैं ।

अध्याय 13

प्रकीर्ण

58. सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को प्रतिकर और अनुतोष उपलब्ध करवाते समय—

(क) लिंग, जाति, समुदाय, अवजनन या धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा ; और

(ख) जाति, समुदाय या धर्म पर ध्यान दिए बिना समरूपता रखी जानी चाहिए ।

59. जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, सिवाय उस विस्तार तक जहां तक अन्य विधियों के उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

60. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों के लिए या उनमें से किसी एक के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते ;

(ख) कोई अन्य विषय, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हों, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

61. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 39 के खंड (छ) और खंड (ज) के अधीन नियुक्त सदस्यों की पदावधि ;

(ख) धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन राज्य परिषद् द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते समय अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) जिला परिषद् के सदस्यों और ऐसे अन्य विभागों की संख्या, जो धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन जिला परिषद् में जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व कर सकेंगे ;

विभेद का प्रतिषेध ।

अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित न होना ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

(घ) धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (ड) और खंड (च) के अधीन सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ;

(ड) ऐसे अन्य प्रयोजन, जिनके लिए धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन राज्य निधि उपयोजित की जाएगी ;

(च) कोई अन्य विषय, जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, बनाया गया नियम और स्कीम जारी किए जाने या बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के, जहां यह दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसा विधान मंडल एक सदन का है वहां वह उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

1951 के
अधिनियम 43
की धारा 8 का
संशोधन ।

62. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (2) में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा—

“(गअ) सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) अधिनियम, 2005 का कोई उपबंध ।” ।

अनुसूची

[धारा 2 की उपधारा (1) का खंड (ठ) देखिए]

1. भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के निम्नलिखित उपबंधों के अधीन अपराध :-

धारा 120ख, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 153क, 153ख, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 295, 295क, 296, 297, 298, 302, 303, 304, 307, 308, 323, 324, 325, 326, 327 से 335, 341 से 348, 352, 353, 354, 355 से 358, 363-369, 376, 379, 380, 383, 384 से 387, 392, 402, 411, 412, 426, 427, 431, 435, 436, 440, 447 से 462, 504 से 506 और 509 ।

2. आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के निम्नलिखित उपबंधों के अधीन अपराध :-

धारा 25, 26, 27, 28 से 30

3. विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के निम्नलिखित उपबंधों के अधीन अपराध :-

धारा 6(3), 8(2) और 9ख

4. लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 (1984 का 3) के निम्नलिखित उपबंधों के अधीन अपराध :-

धारा 3 और धारा 4 ;

5. उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 (1991 का 42) के निम्नलिखित उपबंधों के अधीन अपराध :-

धारा 6 ;

6. धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 (1988 का 41) के निम्नलिखित उपबंधों के अधीन अपराध :-

धारा 7 ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सांप्रदायिक हिंसा के निवारण और नियंत्रण तथा ऐसी हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास और अपराधों के त्वरित अन्वेषण एवं विचारण, जिसके अंतर्गत सांप्रदायिक हिंसा में संलिप्त व्यक्ति पर वर्धित दंडों का, उनसे भिन्न जो भारतीय दंड संहिता में उपबंधित है, अधिरोपण भी है, के लिए प्रभावी उपाय करने हेतु और उनसे संबंधित मामलों के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को सशक्त करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि संसद द्वारा एक विधि अधिनियमित की जाए।

2. विधेयक अन्य बातों के साथ निम्नलिखित के लिए है,—

(i) राज्य सरकारों द्वारा कतिपय क्षेत्रों को सांप्रदायिक रूप से उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का उपबंध करना;

(ii) सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले कृत्यों का निवारण करने के लिए उपाय अधिकथित करना;

(iii) सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित अपराधों और कतिपय अन्य अपराधों के लिए दंडों में वृद्धि करना;

(iv) विशेष न्यायालयों के माध्यम से अपराधों के त्वरित अन्वेषण और विचारण के लिए उपबंध करना;

(v) सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए सहायता और पुनर्वास के उपायों के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं करना;

(vi) सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों हेतु प्रतिकर के लिए उपबंध करना और कतिपय मामलों में केंद्रीय सरकार के लिए विशेष शक्तियों के लिए उपबंध करना;

(vii) राष्ट्रीय सांप्रदायिक उपद्रव सहायता और पुनर्वास परिषद्, राज्य सांप्रदायिक उपद्रव सहायता और पुनर्वास परिषद् और जिला सांप्रदायिक उपद्रव सहायता और पुनर्वास परिषद् और जिला सांप्रदायिक उपद्रव सहायता और पुनर्वास परिषद् के गठन के लिए उपबंध करना; और

(viii) सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को लिंग, जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर प्रतिकर और सहायता उपलब्ध कराने में किसी विभेद का प्रतिषेध करना।

3. खंडों का टिप्पण विधेयक में अन्तर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तार से स्पष्ट करते हैं।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली;
26 नवम्बर, 2005

शिवराज चौ. पाटील

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

(गृहमंत्री श्री शिवराज चौ. पाटील द्वारा महासचिव राज्य सभा को प्रेषित पत्र संख्या 11034/20/2004-एनआई-1(खंड-5) दिनांक 29 नवम्बर, 2005 की प्रति)

'राष्ट्रपति ने प्रस्तावित "सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005" की विषय वस्तु से अवगत कराये जाने पर, संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अधीन सभा में विधेयक पर विचार किये जाने की सिफारिश की है।'

खंडों पर टिप्पण

खंड 1--यह खंड प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम, उसके प्रवर्तन के क्षेत्र और उसके प्रारंभ के लिए उपबंध करता है। प्रस्तावित विधान जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं होगा। चूंकि प्रस्तावित विधान को प्रवर्तन में लाए जाने से पहले कतिपय प्रारंभिक उपाय किए जाने अपेक्षित हैं, अतः, यह प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार को इसे उस तारीख से, प्रवर्तन में लाने के लिए सशक्त किया जाए, जो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, केन्द्रीय सरकार विधेयक के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें अधिसूचित कर सकेगी। तथापि अध्याय 2 से अध्याय 6 को (दोनों सम्मिलित हैं,) प्रवर्तन में लाने की शक्ति राज्य सरकार में निहित किए जाने का प्रस्ताव है।

खंड 2--इस खंड में विधेयक में प्रयुक्त कतिपय शब्दों और पदों की परिभाषाएं अन्तर्विष्ट हैं। इन परिभाषाओं के अन्तर्गत, "सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र", "सांप्रदायिक हिंसा"; "सक्षम प्राधिकारी", "राहत और पुनर्वास", "अनुसूचित अपराध", "राज्य निधि" और "एकीकृत कमान" की परिभाषाएं भी हैं। यह भी उपबंधित किया गया है कि विस्फोटक अधिनियम, 1884 या आयुध अधिनियम, 1959 में प्रयुक्त शब्द ऐसे पद के निर्वचन के संबंध में लागू होंगे, जो प्रस्तावित विधान में प्रयुक्त हैं और उसमें परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु उन अधिनियमों में परिभाषित किए गए हैं। "सांप्रदायिक हिंसा" पद से ऐसे किसी कार्य का लोप या किया जाना अभिप्रेत है, जो किसी अनुसूचित अपराध का गठन करता है और जो प्रस्तावित विधान के खंड 19 के उपखंड (1) के अधीन दंडनीय है।

खंड 3--यह खंड कतिपय परिस्थितियों में किसी क्षेत्र को सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषित करने की राज्य सरकार की शक्तियों से संबंधित है।

खंड 4--यह खंड राज्य सरकार द्वारा किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और नियंत्रित करने के लिए किए जाने वाले उपायों को अधिकथित करता है।

खंड 5--यह खंड ऐसी किसी स्थिति की दशा में, जिसमें विभिन्न समूहों, जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच में शान्ति भंग होने तथा विसंगति होने की आशंका पैदा होती है, निवारक उपाय करने की जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां अधिकथित करता है।

खंड 6 से खंड 10--ये खंड किसी अधिसूचित सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में निवारक उपाय करने की सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां वर्णित करते हैं।

खंड 11 से खंड 15--ये खंड आदेशों के अतिक्रमण में प्रतिषिद्ध स्थानों के आसपास घूमने, कब्जे में लाइसेंस के बिना शस्त्रादि रखने, अपराधियों की सहायता करने, कतिपय अपराधों के किए जाने के लिए वित्तीय सहायता देने और साक्षियों को धमकाने जैसे विभिन्न अपराधों के लिए दंड का उपबंध करते हैं।

खंड 16--यह खंड प्राधिकृत व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति ले जाने के लिए माल परिवहन यान के ड्राइवर, स्वामी या किसी भारसाधक व्यक्ति के लिए दंड का उपबंध करता है।

खंड 17--यह खंड असदभावपूर्वक आशय से कार्य करने वाले लोक सेवकों के लिए और जानबूझकर कार्यों या लोपों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफलता के लिए दंड का उपबंध करता है।

खंड 18--यह खंड किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अधीन आदेशों के अतिक्रमण के लिए दंड का उपबंध

करता है।

खंड 19—यह खंड, सांप्रदायिक हिंसा के लिए मानदंड और सांप्रदायिक हिंसा करने के लिए वर्धित दंड विहित करता है।

खंड 20—यह खंड उपबंध करता है कि अनुसूचित अपराध प्रस्तावित दिधान के प्रयोजनों के लिए संज्ञेय अपराध होंगे।

खंड 21—यह खंड कतिपय स्थानों को पुलिस स्टेशन होने की घोषणा के लिए उपबंध करता है।

खंड 22—यह खंड राज्य सरकार को, ऐसे अनुसूचित अपराधों के, जहां विचारण दोषमुक्ति में समाप्त होता है, मामलों का पुनर्विलोकन करने और जहां कहीं अपेक्षित हो, अपीलें फाइल करने के लिए आदेश जारी करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक के स्तर के किसी अधिकारी की अध्यक्षता में एक पुनर्विलोकन समिति का गठन करने के लिए सशक्त करता है। समिति से प्रत्येक मामले में अपने निष्कर्षों और की गई कार्रवाई की एक रिपोर्ट पुलिस महानिरीक्षक को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है।

खंड 23—यह खंड उस दशा में जब राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में किए गए अपराधों के अन्वेषण उचित रूप से न्यायसंगत और निष्पक्ष रीति से नहीं किए गए थे तो राज्य सरकार द्वारा एक या अधिक विशेष अन्वेषण टीमों के गठन के लिए उपबंध करता है।

खंड 24—यह खंड उपबंध करता है कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपद्रव की अवधि के दौरान किए गए अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए एक या अधिक विशेष न्यायालय स्थापित करेगी।

खंड 25 से 33—ये खंड, अपराधों काच शीघ्र विचारण सुकर बनाने तथा दोषी व्यक्ति को दंड देने के लिए, विशेष न्यायालय से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक और प्रक्रिया संबंधी पहलुओं को अधिकथित करते हैं। इन पहलुओं के अन्तर्गत,—(i) विशेष न्यायालयों का गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति ; (ii) विशेष न्यायालयों के अधिविष्ट होने का स्थान ; (iii) विशेष न्यायालयों की अधिकारिता ; (iv) अन्य अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालयों की अधिकारिता; (v) लोक अभियोजकों की नियुक्ति ; (vi) विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्ति ; (vii) उच्चतम न्यायालय की मामले अंतरण करने की शक्ति ; (viii) साक्षियों का संरक्षण ; और (ix) नियमित न्यायालयों को मामले अंतरित करने की शक्ति, भी हैं।

खंड 34 से 36—ये खंड, सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में व्यक्तियों के संचलन पर कतिपय निबंधन अधिरोपित करने और अधिरोपित किए गए ऐसे निबंधनों के विरुद्ध अपीलों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया अधिकथित करते हैं।

खंड 37—यह खंड, जब कोई अधिसूचित क्षेत्र, सांप्रदायिक रूप से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र नहीं रहता तब कतिपय विशेष न्यायालयों को समाप्त करने के लिए उपबंध करता है।

खंड 38 से 48—ये खंड राज्य सांप्रदायिक हिंसा राहत और पुनर्वास परिषद् के गठन के माध्यम से राहत और पुनर्वास के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं की स्थापना ; इसकी संरचना और कृत्य (खंड 38 से 40) ; सांप्रदायिक सामंजस्य के संवर्धन के लिए राज्य योजना और सांप्रदायिक हिंसा के निवारण (खंड 41) ; जिला परिषदों के गठन, उनकी संरचना और कृत्य (खंड 42-44) ; राष्ट्रीय परिषद् के गठन और उसकी संरचना (खंड 45) ; राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों के निबंधन और शर्तें (खंड 46) ; राष्ट्रीय परिषद् की शक्तियां और कृत्य (खंड 47) और राष्ट्रीय परिषद् द्वारा केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने (खंड 48) के लिए उपबंध करते हैं।

खंड 49 से खंड 51—ये खंड राहत और पुनर्वास के लिए विधियों की स्थापना करने के लिए उपबंध करते हैं, जिनके अंतर्गत (i) राज्य निधि का स्थापना करना, प्रयोजन और राष्ट्रीय परिषद् को वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना (खंड 49) ; (ii) राहत और तुरन्त राहत प्रदान करने के लिए स्कीम (खंड 50) ; जिला निधि की स्थापना (खंड 51) भी है ।

खंड 52—यह खंड उपबंध करता है कि जिला परिषदें राज्य परिषद् के अधीन कार्य करेंगी ।

खंड 53—यह खंड विशेष न्यायालयों के आदेशों के अनुसार पद्धतियों को पीड़ितों को तुरन्त प्रतिकर के संदाय अधिकथित करता है ।

खंड 54—यह खंड सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए जिला परिषद् के माध्यम से तुरन्त प्रतिकर के संदाय के उपबंध करता है ।

खंड 55 और खंड 56—ये खंड कतिपय दशाओं में सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में केन्द्रीय सरकार की विशेष शक्तियां अधिकथित करते हैं ।

खंड 57—यह खंड अधिकारियों की शक्ति, कर्तव्य और उन्मुक्ति अधिकथित करता है और सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के संरक्षण के साथ ही, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के लिए, जो प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अधीन कार्य करते हुए, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में क्षतिग्रस्त होता है या जिसकी मृत्यु हो जाती है, उपलभ्य दरों से दुगनी दर पर विशेष प्रतिकर या सहायता अनुदान राहत दिए जाने के लिए अधिकथित करता है ।

खंड 58—यह खंड सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को प्रतिकर या राहत प्रदान करते समय लिंग, जाति, समुदाय, अवजनन या धर्म के आधारों पर विभेद के संबंध में प्रतिषेध अधिरोपित करता है ।

खंड 59—यह खंड उपबंध करता है कि अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं है और प्रस्तावित विधान के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।

खंड 60—यह खंड केन्द्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । ये नियम अन्य बातों के साथ, राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्तों से संबंधित हैं ।

खंड 61—यह खंड राज्य सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । ये नियम, विशेष रूप से, राज्य परिषद् के सदस्यों की पदावधि (खंड 39), राज्य परिषद् द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया (खंड 40), जिला परिषद् के गठन और इसके सदस्यों के निबंधन और शर्तें (खंड 42), ऐसे अन्य प्रयोजनों, जिनके लिए राज्य निधि का उपयोग किया जाएगा (खंड 49) से संबंधित हो सकेंगे ।

खंड 62—यह खंड लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (2) में एक नया खंड (गंक) अन्तःस्थापित करने के लिए है, जिससे कि अधिकथित किया जा सके कि प्रस्तावित विधान के उपबंध के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया कोई व्यक्ति उक्त धारा 8 के अधीन निरहता उपगत करेगा ।

प्रस्तावित विधान की अनुसूची ऐसे विभिन्न अपराधों को वर्णित करती है, जो प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित अपराध होंगे ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 45 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, राष्ट्रीय सांप्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् का गठन करेगी, जिसमें ग्यारह सदस्यों से अनधिक सदस्य होंगे, जो प्रस्तावित विधान के द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसको समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए होगी। खंड 46 का उपखंड (1) यह अधिकथित करता है कि राष्ट्रीय परिषद् का प्रत्येक सदस्य (पदेन सदस्यों से भिन्न) अपनी नियुक्ति की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा। उक्त खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि राष्ट्रीय परिषद् के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों को संदेय यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते वे होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

2. विधेयक के खंड 49 का उपखंड (1) अन्य बातों के साथ यह अनुबंध करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार राज्य सांप्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास निधि नामक निधि स्थापित करेगी और केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सभी राशियां उसमें जमा की जाएंगी। यदि केन्द्रीय सरकार राज्य सांप्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास निधि में अभिदाय करने का विनिश्चय करती है तो भारत की संचित निधि से व्यय अंतर्वलित होगा।

3. विधेयक का खंड 50 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार, यथास्थिति, जीवन हानि या क्षति की दशा में पीड़ितों या उनके अश्रितों या उन व्यक्तियों को, जिनको संपत्ति की हानि या नुकसानी या आजीविका के साधनों की हानि हुई है या प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अधीन अपराध के परिणामस्वरूप तत्काल प्रतिकर के अनुदान के प्रयोजन के लिए निधि का उपबंध करने के लिए एक स्कीम तैयार करेगी। खंड 51 यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक जिले में पीड़ित सहायता निधि नामक निधि स्थापित करेगी और उसे जिला परिषद् के व्ययन पर रखेगी और अन्य बातों के साथ राज्य सरकार से प्राप्त सभी राशियां उसमें जमा की जाएंगी। चूंकि केन्द्रीय सरकार संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में सरकार है, अतः इस मद्दे कुछ व्यय केन्द्रीय सरकार को वहन करना होगा।

4. व्यय का अंतर्वलित होना मुख्यतः सांप्रदायिक हिंसा के घटित होने पर निर्भर करता है, अतः भारत की संचित निधि से व्यय, आवर्ती और अनावर्ती दोनों, का प्राक्कलन करना कठिन है।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 60 का उपखंड (1) उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। उक्त खंड का उपखंड (2) उन विषयों को प्रगणित करता है कि जिनके संबंध में प्रस्तावित विधान में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे। ये विषय राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्तों और ऐसे अन्य विषयों से संबंधित हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं या विहित किए जा सकेंगे।

2. विधेयक का खंड 50 राज्य सरकारों को साम्प्रदायिक उपद्रवों के पीड़ितों या उनके आश्रितों को तुरन्त प्रतिकर अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने हेतु, अधिसूचना द्वारा, स्कीमें बनाने के लिए सशक्त करता है।

3. विधेयक के खंड 61 का उपखंड (1) राज्य सरकार को प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने को सशक्त करता है। ऐसे नियमों में, अन्य बातों के साथ, खंड 39 के अधीन नियुक्त राज्य परिषद् के सदस्यों की पदावधि, खंड 40 के उपखंड (2) के अधीन उसके कृत्यों के पालन के दौरान राज्य परिषद् द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, खंड 42 के उपखंड (2) को खंड (घ) के अधीन जिला साम्प्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास परिषद् और ऐसे अन्य विभागों के, जिनका जिला साम्प्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास परिषद् में जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा, सदस्यों की संख्या, खंड 42 के उपखंड (2) के खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन जिला साम्प्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास परिषद् के सदस्यों को नियुक्त करने के निबंधनों और शर्तों, अन्य प्रयोजनों, जिनके लिए राज्य साम्प्रदायिक उपद्रव राहत और पुनर्वास निधि खंड 49 के उपखंड (2) के पैरा (ग) के अधीन लागू की जाएगी और किसी अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए, के लिए उपबंध किए जा सकेंगे।

4. विधेयक के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और स्कीमों को संसद् के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और स्कीमों को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है।

5. वे विषय, जिनके संबंध में नियम और स्कीमें बनाई जा सकेंगी, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

उपाबंध

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्यांक 41)
से उद्धरण

कतिपय अपराधों
के लिए दोषसिद्ध
की निरर्हता।

* * * * *

8. (1) * * * *

(2) कोई व्यक्ति जो,—

* * * * *